स्वदेशी पत्रिका

वर्ष–22, अंक–9, भाद्रपद–आश्विन 2071, सितम्बर 2014

संपादक
विक्रम उपाध्याय

कार्यालय
धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग
रामकृष्णपुरम्, नयी
दिल्ली–110022
से प्रकाशित
दूरभाष : 011–26184595
स्वदेशी जागरण समिति की ओर से ईश्वर दास महाजन द्वारा कॉम्पीटेंट बाइन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली–32 से मुद्रित।

आवरण कथा – पृष्ठ–6

भारत का आम आदमी धन्ना–सेठों की तरह करोड़ों–अरबों का कर्ज लेकर बैंकों का दिवाला नहीं पीटता है। आम आदमी के जुड़ने से बैंक सिर्फ व्यवसाय नहीं रह जाएंगे बल्कि सेवा में बदल जाएंगे। आम आदमी अब नियमित बचत कर सकेगा।

कवर पेज

अ नु क्र म

आवरण कथा :
जन–धन योजना और गरीबों के लिए खुले तरक्की के रास्ते
– डॉ. वेदप्रताप वैदिक /6

विमर्श
आर्थिक चुनौतियों से पार पाना अभी भी मुश्किल
– विक्रम उपाध्याय /8

कृषि :
त्रासदी की शिकार कृषि
– देविन्दर शर्मा /10

अभिमत :
विकास की भेंट चढ़ती उपजाऊ भूमि
– पंकज चतुर्वेदी /12

चर्चा
मेक इन इंडिया की नई राह
– डॉ. जयंतीलाल भण्डारी /14

तकनीकी :
जरूरत है शोध और अनुसंधान को बढ़ाने की
– शशांक द्विवेदी /16

समस्या :
हर साल बाढ़ से बिगड़ते हालात
– भारत डोगरा /18

स्वास्थ्य :
आधी आबादी के स्वास्थ्य और स्वच्छता का मसला
– मुकुल श्रीवास्तव /20

विश्व धरोहर :
विश्व धरोहर घोषित हो रामसेतु
– प्रवीण गुगनानी /22

चिंतन : कब होगा गंगा मैया का उपचार
– राजेन्द्र सिंह /25

शिक्षा : एजुकेटिड बनाम क्वालीफाइड
– अरुण तिवारी /27

संस्कृति : नीम जीवन का अमृत
– भानुदास गोखे /29

पर्यावरण : बदलते मानसून के खतरे
– निरंकार सिंह /35

पाठकनामा/4, समाचार परिक्रमा/32, आंदोलन/37

पाठकनामा

पड़ोसी देश मित्रता के काबिल नहीं

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पाकिस्तान से मित्रता का हाथ बढ़ाया वही दूसरी तरफ पाकिस्तान फिर से अपनी पुरानी कारतूत करने लगा। जबकि हमारा देश काफी वर्षो से पाकिस्तान से अच्छे संबंध बनाने के अथक प्रयास कर रहा है परन्तु पाकिस्तान द्वारा इसे मजाक में उड़ाया जा रहा हैं। लगता है इसका कारण भी हमारी नीति ही रही है। मेरे हिसाब से समझाया उसे जाता है जो बात समझने के लिए काबिल हो परन्तु पाकिस्तान हर बार भारत के लिए जहर उगल रहा। पिछले चार सालों में पाकिस्तान 400 से अधिक बार सीजफायर का उल्लंघन कर चुका है। इसके अतिरिक्त आज भी पाकिस्तान में आतंकवाद को बढ़ाने के लिए कैम्प चलाया जा रहा है। देखा जाए तो पाकिस्तान हमारे खिलाफ छद्म युद्ध छेड़े हुए हैं। वही हमारी पूर्ववर्ती सरकारों ने यही दिखाया है कि भारत अपने नुकसान की हद तक शांतिकायम रखेगा। इसी बात का पाकिस्तान नाजायज फायदा उठा रहा है। अभी हाल ही में हमारे गृहमंत्री ने सैनिकों का हौसला बढ़ाया और कहा कि अगर उनकी तरफ से गोली चलती है तो आप भी गोली का जवाब गोली में दो। आज देशहित के लिए जरूरी है कि भारत पाकिस्तान से सारे संबंध तोड़ दें तभी पाकिस्तान अपनी कारतूतों से बाज आएगा।

– मनोज कुलियाल, आर.के. पुरम्, नयी दिल्ली

स्वदेशी सामानों की खरीदारी से ही होगा देश में रोजगार

मैं स्वदेशी पत्रिका का नियमित ग्राहक हूँ। पत्रिका के सभी लेख मैं ध्यानपूर्वक पढ़ता हूँ। हर बार पत्रिका में देश की तमाम समस्याओं का जिक्र किया जाता है परन्तु लोग अपनी गलतियों से कुछ सीखते ही नहीं है। विदेशी वस्तुओं का मोह आज भी हमारे लोगों के दिल में समाया हुआ है जो एक तरफ से बिल्कुल गलत है। आज स्वदेशी कंपनियां भी अच्छे प्रॉडक्ट्स बना रही हैं। हमें विदेशी वस्तुओं का मोह छोड़कर स्वदेशी वस्तुओं को अपने जीवन में उतारना चाहिए। आज मोबाइल से लेकर सुई तक लोग चीन द्वारा बनाई गई सामानों को खरीद रहे हैं जो एक तरफ से अपनी अर्थव्यवस्था को तो खोखला कर ही रही है वही अपने भारतीयों को बेरोजगार बना रही है। जब भी बाजार जाए तो यह सोचें देश की वस्तु खरीदने से देश में रोजगार बढ़ेगा और पैसा भी देश में ही रहेगा। **– सुधीर रावत, अभय खण्ड, इन्दिरापुरम्, गाजियाबाद**

आवश्यक नहीं कि इस अंक के भीतर प्रस्तुत लेखकों के विचार स्वदेशी पत्रिका के संपादक मंडल के विचारों से मेल खाते हों। पाठकों की जानकारी के लिए उन्हें यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

संपादकीय कार्यालय

''धर्मक्षेत्र'' शिव शक्ति मन्दिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

दूरभाष : 011–26184595 • ई–मेल : swadeshipatrika@rediffmail.com

अगर आप घर बैठे स्वदेशी पत्रिका चाहते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट, मनीऑर्डर अथवा चेक द्वारा शुल्क *'स्वदेशी पत्रिका'* दिल्ली के नाम भेजने का कष्ट करें।

वार्षिक सदस्यता शुल्क : 15

आजीवन सदस्यता शुल्क:15,00 रुपए

यदि शुल्क भेजने के उपरांत भी आपको पत्रिका समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो तुरंत पत्रिका कार्यालय को सूचित क र ।

या आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. 602510110002740

IFSC : BKID 0006025 (Ramakrishnapuram)

उन्होंने कहा

नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आज आगे बढ़ रहा है। सौ दिनों में मोदी सरकार ने काफी काम किए हैं।

– नितिन गडकारी

देश में फैल रहे माओवाद, आतंकवाद और अस्थिरता फैलाने वाली ताकतों के प्रयासों से निपटने के लिए संपूर्ण राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना लगभग तैयार है।

– राजनाथ सिंह

डिजिटल क्रांति भारत के स्वरूप को बदलने का एक क्रांतिकारी प्रयास है। यह ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम अपनी आने वाली पीढ़ी को कुछ देना चाह रहे हैं। देखा जाए यह मोबाइल क्रांति की तरह है।

– रविशंकर प्रसाद

भारत नियम आधारित वैश्विक व्यापार समझौते के रास्ते में खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन गरीबों और किसानों के हितों और खाद्य सुरक्षा का बलिदान भी नहीं किया जा सकता।

– प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

स्वदेशी सामग्री के उपयोग से ही समाज व देश का भला हो सकता है।

– आशा लकड़ा, रांची के मेयर

स्वदेशी के बारे में महिलाओं में जागरूकता बढ़ी है। महिलाएं घर–घर में एलोवेरा, तुलसी, नीम का उपयोग कर रही हैं।

– मीरा मुंडा

लोग अधिक से अधिक स्वदेशी उत्पाद का उपयोग करें। इसका असर समाज, शहर से लेकर देश–विदेश तक होता है।

– मेनका सरदार

संपादकीय

.सुधरने के लिए और कितने प्रकोपों का इंतजार?

देश प्राकृतिक आपदा की मार से पूरी तरह त्रस्त है। हम अभी तक सूखें की आशंका से जूझ रहे थे कि अचानक बाढ़ ने हमें अपनी चपेट में ले लिया है। एक तरफ मानवीय जीवन पर ग्रहण लगा तो दूसरी तरफ निवाले की संभावनाएं भी डूबने लगी हैं। लाखों हेक्टेयर खेत में खड़ी फसलों के डूबने से न सिर्फ भारी आर्थिक नुकसान हुआ है, बल्कि आने वाले दिनों के लिए खाद्यान्न संकट का भी खतरा उत्पन्न हो गया है। हालांकि केंद्र के मंत्री अभी इन मुद्दों पर बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनकी पहली प्राथमिकता बाढ़ औीर सूखे से लोगों को बचाने की है। केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह सरकार के मजबूत दावे या और वायदे को व्यक्त करते हुए हाल ही में कहा था कि सरकार के लिए राहत की बात है कि सूखा प्रभावित पंजाब और हरियाणा में खरीफ की बुवाई 90 फीसदी से अधिक हो चुकी है। लेकिन यही बात महाराष्ट्र के साथ दावे से नहीं कहा गया न उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश के बारे में कहा गया। केन्द्र के दावे के बावजूद हुड्डा सरकार ने हरियाणा को सूखा प्रभावित राज्य घोषित कर दिया है। यानी केन्द्र और राज्य को हरियाणा के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने पड़ेंगे। हालांकि हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सूखे की घोषणा मानी जा रही है पर खेती में कमी का असर पूरे देश पर पड़ना लाजिमी है और बफर स्टॉक में संतुलन बनाए रखने की सबसे बड़ी चुनौती भी। केंद्रीय खाद्य व आपूर्ति मंत्रालय अभी से ही आयात की योजना बनाने में लगा है, क्योकि अगले महीने से त्योहारी सीजन शुरू होने वाला है और इस समय अमूमन चीजों के दाम महंगे हो जाते हैं। प्याज और टमाटर को लेकर सरकार ज्यादा संजीदा है। बाढ़ और सूखे की इस दोहरी मार से कई सवाल और कई मुद्दे फिर से खड़े हो गए हैं। पहला और सबसे समीचीन मुद्दा है हमारे जल संसाधन का उचित प्रबंधन और जल संसाधन के नाम पर चल रहे विभिन्न योजनाओं के बीच बेहतर समायोजन। अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में नदियों को जोड़ने का जो उद्देश्य रखा था उस पर 10 साल की यूपीए सरकार न सिर्फ कुंडली मार कर बैठी रही, बल्कि कई कांग्रेस के नेताओं ने उन योजनाओं का मजाक भी उडाया। यहां तक कहा गया कि वाजपेयी की कथित दूरगामी प्रभाव वाली योजना दरअसल व्यावहारिक ही नहीं थी, क्योंकि उस पर जितना पैसा खर्च होना है उसके अनुरूप परिणाम आ ही नहीं सकता। इस तरह के सवाल खड़ा कर देश का एक बड़ा काल खंड यूं ही बिता देने वालों से यह पूछा जाना चाहिए कि बाढ़ और सूखे से राहत के लिए जो हर साल हजारो करोड़ फूंके जा रहे हैं उनसे क्या परिणाम मिल रहे है? न जान माल बच रहा है न फसलों का बचाव हो रहा है। कम से कम नदियों को जोड लोगों के जीवन को तो खतरे से दूर रखा जा सकता है। हालांकि नरेन्द्र मोदी की सरकार फिर से नदियों को जोड़ने के अभियान में लग गई है, पर देश ने बीच के वर्षों में बहुत कुछ खो दिया है। प्राकृतिक आपदाओं ने हमारी तकनीक की तमाम खामियों को भी उजागर कर दिया है। त्रासदी से निपटने के लिए हमारे इंतजाम आज भी सेना के मजबूत कंधे तक सीमित है। चाहे कश्मीर की बाढ़ हो या फिर उत्तराखंड का तूफान सब जगह स्थानीय सरकारें मूक दर्शक बनी रहीं। किसी भी राज्य के पास न तो आपदाओं से निपटने के लिए सक्षम कार्यबल है न आधुनिक उपकरण। सभी आपदाओं के बारे में राज्यों का एक ही बयान हम स्थितियों के आकलन में नाकाम रहे। हर त्रासदी के बाद सुझावों की झडी लगती है और फिर उसके बाद शासन प्रसाशन वैसे ही सो जाते हैं। एक और बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा यह हुआ है कि प्रकृति के मिजाज के अनुसार हम अपनी खेती के तरीके का सामंजस्य कैसे बिठाएं। बाढ़ की स्थिति में तो नहीं पर सूखे की स्थिति में फसल को कैसे बचाए या उगाएं इस पर कोई गंभीर काम नहीं हुआ है। यह जानते हुए भी कि देश में कई ऐसे हिस्से हैं जहां अमूमन कम बारिश होती है या जल संसाधन कम हैं वहां के लिए कोई विशेष फसल योजना नहीं बनाई गई है। बार बार एक उदाहरण आता है कि इजरायल जैसा छोटा देश अपने रेगिस्तान में लहलहाती फसले उगा सकता है तो हमारा राजस्थान क्यों नहीं। क्यों महाराष्ट्र का विदर्भ और उत्तर प्रदेश का बुंदेलखड सूखे के लिए अभिशप्त है। शायद ऐसा इसलिए कि अभी तक हमारी केंद्र या राज्य सरकारें किसानों को कुछ आर्थिक मदद पहुंचाना ही अपनी जिम्मेदारी समझती रही है। किसानों को तकनीक और नई बीजों के लिए अनुसंधान का काम सरकारी प्रयोगशालाओं तक सीमित रखा गया है। उनकी प्रदर्शनी तो होती है पर खेतों में उनका प्रदर्शन नहीं देखा जाता। एक महत्वपूर्ण सवाल भंडारण को लेकर भी खड़ा होता है। अच्छी फसलों के दिनों में हम आकड़ेबाजी से संतुष्ट हो जाते हैं। सरकार तय सीमा तक खाद्यान्न का भंडार कर फिक्र मुक्त हो जाती है। उसके बाद न सरकारी एजेंसियां फसलों की खरीद करती हैं और न अतिरिक्त खरीद का उचित भंडारण करती हैं। लाखों टन अनाज खुले में रखे जाते हैं जो कुछ ही दिनो में या तो जानवारों को डाल दिए जाते हैं या फिर सडने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। हमारे देश की शासन व्यवस्था भी अजीब है कि एक ही तरह की समस्या हर साल आने के बाद भी कोई नहीं चेतता। सांप निकल जाने का इंतजार किया जाता है ताकि रस्सी पीट कर अपने दायित्व का बोझ हल्का कर लिया जाएं।

जन-धन योजना और गरीबों के लिए खुले तरक्की के रास्ते

भारत का आम आदमी धन्ना–सेठों की तरह करोड़ों–अरबों का कर्ज लेकर बैंकों का दिवाला नहीं पीटता है। आम आदमी के जुड़ने से बैंक सिर्फ व्यवसाय नहीं रह जाएंगे बल्कि सेवा में बदल जाएंगे। आम आदमी अब नियमित बचत कर सकेगा। उस बचत के रपए को गुल्लक में छिपाए रखने की बजाय वह बैंक में रखेगा ताकि उसे नियमित ब्याज भी मिलता रहेगा और उसका मूलधन सुरक्षित भी रहेगा। देश के बैंकों के पास जमा होने वाली कुल राशि में भी अपूर्व वृद्धि होगी।

■ डॉ. वेदप्रताप वैदिक

पिछले तीन महीने में मोदी सरकार ने कई ऐसे छोटे और बड़े कदम उठाए हैं जो आशा बंधाते हैं कि यह सरकार पांच साल में देश को शायद इतना बदल देगी, जितना कि वह पिछले 50 साल में नहीं बदल सका है। लेकिन इन तीन महीनों की अवधि का सबसे सार्थक और नाटकीय कदम अब उठा है। यह है – प्रधानमंत्री जन–धन योजना। इस उत्तम योजना के बारे में हम आगे बात करेंगे ही, लेकिन यहां यह कह देना भी जरूरी है कि इस तरह की योजनाओं के ऐसे नाम बड़े अटपटे लगते हैं। इस योजना से क्या प्रधानमंत्री को कोई निजी लाभ मिलना है? तो इसमें 'प्रधानमंत्री' शब्द जबर्दस्ती क्यों चिपकाया जाता है? सिर्फ 'जन–धन' योजना या 'सर्वधन योजना' या 'सबको पैसा योजना' जैसे सीधे–सादे और छोटे नाम भी रखे जा सकते हैं। इस तरह के नाम रखने पर भी श्रेय तो प्रधानमंत्री को ही मिलेगा, चाहे फिर वह योजना किसी अज्ञातकुल–शील बाबू के दिमाग से ही क्यों न निकली हो।

जो भी हो, यह योजना है जबर्दस्त! इसके जबर्दस्त होने का पहला प्रमाण तो यही है कि पहले दिन ही इसके अंतर्गत डेढ़ करोड़ नए खाते खुल गए। सरकार का लक्ष्य है कि कम से कम साढ़े सात करोड़ खाते जनवरी 2015 तक खुल जाएं।

जिस रफ्तार से अभी खाते खुले हैं, यदि कमोबेश यही रफ्तार रही तो कोई आश्चर्य नहीं कि देश में अगले साल तक 50 करोड़ खाते खुल जाएं। यदि ऐसा हो सके तो एक अर्थ में यह वित्तीय क्रांति होगी, क्योंकि भारत के उन लोगों के भी अब बैंक में खाते होने लगेंगे जिन्हें हम गरीबी की रेखा के नीचे कहते हैं।

जब सरकारी रुपया नकद बंटता है तो हमें राजीव गांधी का वह अमर वाक्य याद आता है कि असली आदमी के पास पहुंचते–पहुंचते वह बस 15 पैसे रह जाता है। जब यह रुपया बैंक के जरिए ग्रामीणों, गरीबों, वंचितों, अल्पशिक्षितों और महिलाओं के हाथ में जाएगा तो उसकी लूट–खसोट जरा मुश्किल हो जाएगी।

अभी जो डेढ़ करोड़ खाते खुले हैं, उसके लिए सरकार ने एक साथ 600 कार्यक्रम और 77 हजार से अधिक शिविर आयोजित किए थे। जाहिर है कि इतना विशाल आयोजन रोज नहीं किया जा सकता, लेकिन इस तरह के आयोजन साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक स्तर पर किए जा सकें तो देश के लगभग उतने ही लोग बैंकों से जुड़ जाएंगे जितने कि भारत में मतदाता हैं।

अभी भारत में मुश्किल से 15 करोड़ बचत खाते हैं। एक–एक आदमी के नाम पर दर्जनों खाते हैं और नकली खाते भी हैं। यदि 80–90 करोड़ लोगों के बैंकों में खाते हों तो देश में कालेधन के चलन पर काफी नियंत्रण हो सकता है। हमारे देश में कुल लेन–देन का सिर्फ 17 प्रतिशत

बैंकों के जरिए आता–जाता है। शेष 83 प्रतिशत पैसा बाजार में नकद तैरता रहता है। इस नकद पैसे का प्रतिशत अमेरिका, स्वीडन और यूरोप के देशों में 5–10 फीसद से ज्यादा नहीं है, जबकि हमारे यहां खेल बिल्कुल उल्टा है। इसका एक कारण अशिक्षा भी है।

कहते हैं कि भारत में साक्षरता 70 प्रतिशत के करीब है, लेकिन साक्षरता का मतलब शिक्षा नहीं है। बैंक के चेक पर एक साक्षर व्यक्ति अपने दस्तखत तो ठोक सकता है लेकिन वह चेक पर राशि कैसे भरेगा, दूसरे का नाम कैसे लिखेगा और अपनी पासबुक वगैरह की पेचीदगियों को कैसे समझेगा? अधिकाधिक खाता खुलने से साक्षरता और बैंकिंग का परस्पर संबंध बढ़ेगा। यानी बैंकबाजी साक्षरता बढ़ाएगी और साक्षरता बैंकबाजी बढ़ाएगी। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, न!

इस जन–धन योजना के अंतर्गत जो करोड़ों लोग अपने खाते खोलेंगे, उन्हें कई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ होंगे। सीधा लाभ तो यह होगा कि हरेक खाताधारी को एक लाख रपए का बीमा मुफ्त मिलेगा। यह वित्तीय सुरक्षा उसे किसी भी तरह की दुर्घटना होने पर मिलेगी और 30 हजार का जीवन बीमा भी मिलेगा। इसके सिवाय हर खाताधारी को डेबिट कार्ड मिलेगा और पांच हजार रपए तक का वह ओवरड्राफ्ट भी ले सकता है। गांव में 28 रुपए रोज और शहर में 32 रुपए रोज पर गुजर करनेवाले किसी भारतीय को अगर इतनी सुविधा मिल जाए तो क्या हम यह नहीं कह सकते कि उसकी लॉटरी खुल गई? जिसे 100 या 200 रुपए रोज मिलते हैं, उसके लिए भी यह छप्परफाड़ सुविधा है। यह योजना यदि 'मनरेगा' की तरह प्रवाह–पतित न हुई तो मान लीजिए कि यह करोड़ों लोगों की जिंदगी में नई रोशनी भर देगी। इस योजना के उक्त वित्तीय लाभ तो हैं ही, साथ–साथ जो नैतिक और सामाजिक लाभ हैं, वे अगणित हैं। जब सरकारी रुपया नकद बंटता है तो हमें राजीव गांधी का वह अमर वाक्य याद आता है कि असली आदमी के पास पहुंचते–पहुंचते वह बस 15 पैसे रह जाता है। जब यह रुपया बैंक के जरिए ग्रामीणों, गरीबों, वंचितों, अल्पशिक्षितों और महिलाओं के हाथ में जाएगा तो उसकी लूट– खसोट जरा मुश्किल हो जाएगी। यदि खाताधारियों को बैंक कर्ज देने लगेंगे तो ब्याजखोरों से उनका पिंड छूटेगा। जहां तक पैसे की वापसी का सवाल है, गरीबों, किसानों और मध्यमवर्गीयों को दिया गया 99 प्रतिशत पैसा बैंकों को वापस मिल जाता है और महिलाओं का पैसा तो शत–प्रतिशत वापस आता है।

भारत का आम आदमी धन्ना–सेठों की तरह करोड़ों–अरबों का कर्ज लेकर बैंकों का दिवाला नहीं पीटता है। आम आदमी के जुड़ने से बैंक सिर्फ व्यवसाय नहीं रह जाएंगे बल्कि सेवा में बदल जाएंगे। आम आदमी अब नियमित बचत कर सकेगा। उस बचत के रपए को गुल्लक में छिपाए रखने की बजाय वह बैंक में रखेगा ताकि उसे नियमित ब्याज भी मिलता रहेगा और उसका मूलधन सुरक्षित भी रहेगा। देश के बैंकों के पास जमा होने वाली कुल राशि में भी अपूर्व वृद्धि होगी। इस राशि का इस्तेमाल विशाल विकास–कार्य में जमकर हो सकेगा।

जब देश का ज्यादातर पैसा बैंकों के जरिए जाएगा–आएगा, तो सरकार और जनता, दोनों को दोतरफा फायदा होगा। सरकार की टैक्स की आमदनी बढ़ जाएगी और जनता पर टैक्स का वैंकि ढीला हो जाएगा। भारत का आम आदमी देश की वित्तीय मुख्यधारा से सीधा जुड़ेगा। वह वित्तीय मुख्यधारा से सीधा जुड़ सके, इसके लिए यह बेहद जरूरी है कि बैंकों की सारी कार्रवाइयां भारतीय भाषाओं में हों। इस योजना को सफल बनाने के लिए सरकार को जरा अपनी कमर कसनी होगी। गांव– गांव, शहर–शहर और जिले–जिले में बैंक खोलने होंगे।

अभी तो हाल यह है कि एक लाख की जनसंख्या के लिए कुल 11 बैंक हैं। जरा सोचिए कि एक बैंक में किसी दिन यदि चार–पांच हजार खाताधारी जमा हो जाएं तो क्या होगा? जिस रफ्तार से खाताधारियों की संख्या बढ़ रही है, यह तो माना जा सकता है कि हर एक लाख लोगों पर 60–70 हजार खाताधारी तो अगले पांच साल में हो ही जाएंगे। यह अच्छी बात है कि बैंकिंग को आधुनिकता से लैस किया जा रहा है।

देश के लगभग 90 करोड़ लोगों के पास आजकल मोबाइल फोन हैं। इनकी संख्या बढ़ती चली जाएगी। यदि मोबाइल फोन से बैंक का लेन–देन निभ सके तो क्या कहने? जब तक यह व्यवस्था कायम नहीं होती, सरकार को नए–नए बैंक खोलने का प्रबंध करना होगा। अभी तो हमारे बड़े शहरों में काफी बैंक शाखाएं हैं। लेकिन भारत के गांवों में ग्रामीणों को बैंकों तक पहुंचने के लिए कम से कम दो किलोमीटर तक का फासला तय करना पड़ता है। कई जिलों में तो सिर्फ एक ही बैंक है।

यदि सरकार चाहती है कि उसकी यह अभिनव योजना सफल हो तो उसे अब सभी जिलों में बैंकों की हजारों नई शाखाओं को प्रोत्साहित करना होगा। यदि पूरे देश में बैंकों का जाल बिछ जाए और लोगों को चेक से लेन–देन की आदत पड़ जाए तो फिर हजार और पांच सौ के नोट भी छपने बंद हो जाएं। यही कालेधन के माता–पिता हैं और यही रिश्वतखोरी और ठगी के सबसे बड़े औजार हैं। ❑

आर्थिक चुनौतियों से पार पाना अभी भी मुश्किल

भारत का निजी क्षेत्र पूंजी के लिए भटक रहा है। बाजार में नकदी का जबर्दस्त संकट है। हालांकि विदेशी व्यापारिक कर्ज के नियमों में खूब ढ़ील दी गई है ताकि भारतीय कंपनियां बाहर से सस्ती दर पर लोन ले सके, बावजूद इसके सरकारी टेंडरों को लेकर कंपनियों में उत्साह नहीं है। पीपीपी मॉडल की हवा तब निकल गई जब हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 21 सड़क परियोजनाओं के लिए पीपीपी मॉडल के तहत टेंडर जारी किया, और उसमें एक भी बोली नहीं आई।

■ विक्रम उपाध्याय

नरेन्द्र मोदी सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। 100 दिनों की सरकार की उपलब्धियों में ज्यादा कुछ गिनाने का हो या ना हो लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि मोदी भाजपा नेता से अब स्थापित देश के नेता बन गए हैं। केवल घरेलू जनता की नजर में ही नहीं, बल्कि पूरी अंतरराष्ट्रीय बिरादरी के नजरिए से भी। आज अकेले अमरीका या ओबामा अकेले वर्ल्ड लीडर होने का दावा नहीं कर सकते। भारत के प्रधानमंत्री की भी हैसियत अमरीका या रूस के राष्ट्रपति के समकक्ष हो रही है। यह मानने में कोई संकोच नहीं कि भले ही जनसंख्या के दृष्टिकोण से हम दूसरे सबसे बड़े देश है, लेकिन सामरिक, आर्थिक और कुशलता के दृष्टिकोण से कई देश हमसे आगे हैं। पर हमारे प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता और कर गुजरने की तत्परता उनकी उपस्थिति उल्लेखनीय बना रही है। हालांकि आर्थिक पिछड़ापन भारत को अभी वह स्थान नहीं दिला सकता जिसके हम हकदार हैं या जहां प्रधानमंत्री भारत को देखना चाहते हैं। यह आर्थिक क्षेत्र ही हैं जहां खुद सरकार के हाथ बंधे हैं। प्रधानमंत्री और उनका कैबिनेट आर्थिक चुनौतियों का हल नहीं ढूंढ पाया है। हालांकि 100 दिन के काम–काज से किसी परिणाम की अपेक्षा करना नासमझी होगी, पर हालात बेकाबू हो जाएं, ऐसी स्थिति तो न आने दी जाए।

आर्थिक मोर्चे पर सबसे बड़ी चुनौती ताजा पूंजी की है। 'फ्रेश कैपिटल' के बिना कारपोरेट जगत अपनी जान नहीं बचा सकता। जितनी तेजी से कॉरपोरेट जगत विवादों और उलझनों में फंसता जा रहा है, यदि समय रहते न संभला तो सबसे बड़ी आंच हमारे बैंकिंग क्षेत्र पर आने वाली है। लगातार डिफाल्टरों की बढ़ती संख्या से रिजर्व बैंक के होश उड़ रहे हैं और उस पर न्यायालयों के हंटर से और अफरा तफरी मची है। आर्थिक अपराध के आकड़े बताते हैं कि जानबूझ कर पैसे हड़पने वालों की तादाद काफी बड़ी है। 10 करोड़ या उससे अधिक का कर्ज लेने वाली कंपनियों के पास 50 हजार करोड़ रुपये डूबने की आशंका है। वैसे बैंकिग क्षेत्र का लगभग 2 लाख करोड़ रुपये का कर्ज गैर निस्पादित संपत्तियों में बदल चुका है। यानी कंपनियों के हालात नहीं सुधरे या उनको दिए कर्ज नहीं वापस नहीं आए तो देश के छोटे निवेशकों के दो लाख करोड़ डूब जाएंगे।

आर्थिक मोर्चे पर सबसे बड़ी चुनौती ताजा पूंजी की है। 'फ्रेश कैपिटल' के बिना कारपोरेट जगत अपनी जान नहीं बचा सकता। जितनी तेजी से कॉरपोरेट जगत विवादों और उलझनों में फंसता जा रहा है, यदि समय रहते न संभला तो सबसे बड़ी आंच हमारे बैंकिंग क्षेत्र पर आने वाली है। लगातार डिफाल्टरों की बढ़ती संख्या से रिजर्व बैंक के होश उड़ रहे हैं ...

इनमें सबसे अधिक विस्फोटक हालत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की है। हालांकि रिजर्व बैंक ने वैसे सभी कॉरपोरेट कर्जदारों की अलग सूची सेबी और सीबीआई दोनों को देकर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की अनुशंसा की है जो कर्ज दे नहीं पा रहे हैं या देने की नीयत भी नहीं रखते। 25 लाख से ऊपर के ऐसे कर्जदारों को विलफुल डिफाल्टर का तमगा दिया गया है। यानी इस सूची में आने वाली कंपनियां तो अब न कोई नया कर्ज ले सकेंगी न व्यापार कर सकेंगी और न अपनी संपत्ति बचा सकेंगी। अंततः 'विलफुल डिफाल्टर' का तमगा उस कंपनी का अस्तित्व ही खत्म कर देगा। जिसके कारण बैंक और निजी निवेशकों का निवेश डूब जाएगा। उधार की रिस्ट्रक्चरिंग और ब्याज की अदायगी पर कुछ समय के लिए रोक, डूबते निवेश को बचाने के लिए अच्छा विकल्प हो सकता है। लेकिन जिस तरह की अफरा तफरी कॉरपोरेट जगत में मची है वैसी स्थिति से कोई बड़ा नीतिगत फैसला ही कॉरपोरेट और बैंकों दोनों को बचा सकता है। लेकिन जिस वित्तीय

अव्यवस्था से वित्त मंत्रालय जूझ रहा है उसमें कोई पैकेज या राहत की बात असंभव दिखती है।

सरकार अपनी ही परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए जूझ रही है। मोदी चाहते हैं कि कर्ज लेकर योजनाओं को पूर्ण करने के बजाय पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत तमाम ढांचागत परियोजनाओं को अंजाम तक पहुंचाया जाए, पर समस्या यही आ रही है कि भारत का निजी क्षेत्र पूंजी के लिए भटक रहा है। बाजार में नकदी का जबर्दस्त संकट है। हालांकि विदेशी व्यापारिक कर्ज के नियमों में खूब ढ़ील दी गई है ताकि भारतीय कंपनियां बाहर से सस्ती दर पर लोन ले सके, बावजूद इसके सरकारी टेंडरों को लेकर कंपनियों में उत्साह नहीं है। पीपीपी मॉडल की हवा तब निकल गई जब हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 21 सड़क परियोजनाओं के लिए पीपीपी मॉडल के तहत टेंडर जारी किया, और उसमें एक भी बोली नहीं आई। इस समय 180 सड़क परियोजनाओं का लेखा जोखा तैयार है, लेकिन इनको पूरा करने के लिए लगभग दो लाख करोड़ रुपये चाहिए। फिलहाल निजी क्षेत्र इन परियोजनाओं में पैसा पीपीपी मॉडल के आधार पर लगाने के लिए तैयार नहीं है। अच्छी नीयत का सम्मान होना चाहिए पर हालात उलटे हैं तो कोई क्या करे?

निजी क्षेत्रों से मिली निराशा के बाद मोदी सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है पूँजी जुटाना। इसके लिए या तो विदेशी पूंजी का तेज निवेश हो या फिर सार्वजनिक क्षेत्रों की कुछ खास कंपनियों के शेयर बेच कर पैसे उगाहे जाएं। इन दोनों मोर्चों पर स्वयं प्रधानमंत्री लगे हैं। वे अपनी बात अपने अंदाज और अपने भरोसे भारत का उद्धार करने का भरोसा विदेशी निवेशकों को दिला रहे हैं। ब्रिक्स सम्मेलन में कुछ आर्थिक कदमों को सुनिश्चित करने के बाद जापान का दौरा उम्मीदें बढ़ाने वाला है। 35 अरब डॉलर के निवेश का भरोसा जापान से मिलने के बाद भविष्य के दिन अच्छे लगने लगे हैं।

पर समस्या घरेलू मोर्चे पर बरकरार है। अरूण जेटली ने सरकार बनते ही बजट पेश किया और देश को भरोसा दिलाया कि चालू वित्त वर्ष में ही सरकारी कंपनियों के विनिवेश से तीन अरब डॉलर जुटा लिये जाएंगे। लेकिन अभी तक विनिवेश की प्रक्रिया प्रारंभिक विचार विमर्श में ही फंसी है। कुछ मर्चेंट बैंकर नियुक्त हो गए हैं पर दीपावली से पहले बाजार में विनिवेश के लिए शेयर जारी नहीं किए जा सकेंगे। विनिवेश की सूची में ओएनजीसी पहले नंबर पर है। हालात भी अनुकूल है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत अंकुश में है। शेयर बाजार में भी भारी तेजी हैं। सरकार को इंतजार के बजाय अब एक्शन में आना चाहिए। महंगाई काबू में नहीं आई पर चर्चा जरूर ठंडी हो गई है। मोदी के मंत्रियों की सक्रियता से बाजार में सटोरियों और बिचौलियों के मन में डर बैठ गया है। जनता भी आश्वस्त है कि बाजार में चीजों की किल्लत नहीं होगी। पर राहत का इंतजार अब भी है। अच्छे दिन की प्यास बढ़ गई है। ❑

:: सूचना ::

स्वदेशी पत्रिका सम्राज्यवाद के खिलाफ एक सशक्त आवाज है। पत्रिका को ऐसे लोगों से प्रतिक्रियाएं, रिपोर्ट या आलेख की अपेक्षा है जो राष्ट्रहित में सोचते हैं और देश के स्वावलम्बन के लिए कुछ करने की इच्छा रखते है। जरूरी नहीं कि आप पत्रकार या लेखक ही हों, अपने आसपास से जुड़ी चीजों के प्रति आपकी संवदेना है और आप शब्दों में उसे लिख सकते है तो हमें अवश्य लिख भेजें। साथ ही स्वदेशी पत्रिका में छपे लेख आपको कैसे लगते हैं, क्या आप इसमें कुछ नए विषयों का समायोजन चाहते हैं कृपया हमें अवश्य अवगत कराएं। आपके विचारों को हम प्राथमिकता के साथ प्रकाशित करने का भी प्रयास करेंगे।

हमारा पता है :–

संपादक, स्वदेशी पत्रिका

'धर्मक्षेत्र', सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

त्रासदी की शिकार कृषि

मैं लंबे समय से कहता आया हूं कि छोटे किसानों को अपना चूल्हा जलाए रखने अथवा रोटी खाने के लिए बहुस्तरीय रोजगार मिलना चाहिए। भारतीय कृषि की हालत भी दयनीय है। इस बारे में कुछ अध्ययन बताते हैं कि तकरीबन 58 प्रतिशत किसान मनरेगा पर निर्भर हैं, जो उन्हें वर्ष में न्यूनतम 100 दिन की रोजगार गारंटी उपलब्ध कराता है। हालांकि स्थिति अभी खराब बनी हुई है। जो लोग देश को खाना खिलाते हैं वही वास्तव में भूखे सोने को विवश हैं।

■ देविन्दर शर्मा

कुछ समय पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने कर्नाटक के गुलबर्गा में एक समारोह के दौरान छात्रों को संबोधित करते हुए कहा था कि उन्हें डॉक्टर, इंजीनियर, नौकरशाह, वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री और उद्योगपति बनने के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए और खुद को शिक्षित करना चाहिए। जब उन्होंने अपनी बात खत्म की तो एक युवा छात्र खड़ा हुआ और पूछा कि उन्होंने यह क्यों नहीं कहा कि हमें किसान भी बनना चाहिए? अब्दुल कलाम निरुत्तर थे। उन्होंने घुमा–फिराकर उत्तर देने की कोशिश की, लेकिन वास्तव में उस युवा छात्र ने उन्हें शब्दहीन कर दिया। इससे किसान और किसानी के प्रति पूर्वाग्रह का पता चलता है।

जो लोग देश को खाना खिलाते हैं वही वास्तव में भूखे सोने को विवश हैं। प्रत्येक रात में तकरीबन 60 प्रतिशत लोग भूखे सोते हैं। किसानों की इस त्रासदी से खराब बात कुछ और नहीं हो सकती। यह सब किसी प्राकृतिक आपदा के चलते नहीं हो रहा और न ही किसी वायरस के फैलने से है कि पूरी दुनिया में किसान मर रहे हैं अथवा आत्महत्या करने को विवश हैं। यह वैश्विक अर्थव्यवस्था की डिजाइन का हिस्सा है, जिस कारण किसान खेती के काम से विमुख हो रहे हैं।

यह घटना मुझे तब याद आई जब मैं अमेरिका में एक किसान द्वारा लिखे लेख को पढ़ रहा था। अमेरिकी अखबार न्यूयार्क टाइम्स में एक किसान ब्रेन स्मिथ ने लिखा कि खाद्य आंदोलन का एक छिपा पहलू यह है कि छोटे स्तर के किसानों के बारे में भले ही बहुत कुछ किया जाता हो, लेकिन सच्चाई यही है कि वे जीवन निर्वाह भी नहीं कर पा रहे हैं।

अमेरिका में तकरीबन 91 प्रतिशत किसान परिवार आय के अन्य स्रोतों पर निर्भर हैं। उत्तरी अमेरिका में कोई भी किसान अपने बच्चों को किसान नहीं बनाना चाहता। यह उस देश में हो रहा है जहां किसान बिल 2014 में आगामी 10 वर्षों के लिए कृषि को मदद देने के लिए 962 अरब डॉलर की केंद्रीय सब्सिडी का प्रावधान बनाया गया है। यूरोप में भी स्थिति उतनी ही चिंताजनक है। यूरोप के कुल वार्षिक बजट का 40 प्रतिशत कृषि क्षेत्र के लिए निर्धारित होने के बावजूद वहां प्रति मिनट एक किसान कृषि कार्य को छोड़ रहा है। कनाडा में नेशनल फार्मर्स यूनियन के एक अध्ययन से पता चलता है कि वहां कृषि व्यवसाय से जुड़ी 70 कंपनियों का मुनाफा जहां बढ़ा है वहीं खाद्य श्रृंखला से जुड़े किसानों के वर्ग को घाटा उठाना पड़ रहा है।

अमेरिका और यूरोप में 80 प्रतिशत

कृषि सब्सिडी वास्तव में कृषि व्यवसाय से जुड़ी कंपनियों को जा रही है। वहां किसान एक खत्म हो रही नस्ल बन गए हैं। एक पत्रिका में मैक्स कुटनेर लिखते हैं कि दशकों से समूचे अमेरिका में किसान मर रहे हैं। किसानों में आत्महत्या की दर सामान्य आबादी की तुलना में कहीं बहुत अधिक है। हालांकि वास्तविक संख्या का निर्धारण मुश्किल है। मुख्यतः इसलिए, क्योंकि किसानों को लेकर गलत रिपोर्टिंग की जाती है। वहां किसानों की परिभाषा भी अस्पष्ट है।

यह सही है कि अमेरिका में जो कुछ हो रहा है वह वैश्विक रूप से कोई अलग घटना नहीं है। जब कुछ सप्ताह पूर्व मैंने मीडिया द्वारा यह बताया था कि चीन में पिछले दशक में प्रति वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले औसतन 2,80,000 लोग आत्महत्या कर रहे हैं तो पूरा राष्ट्र चकित रह गया था। इससे चिंतित तमाम लोगों ने इस बारे में जानना चाहा कि आखिर चीनी किसानों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ताजा रिपोर्ट बताती है कि चीन में अपनी जान ले रहे ग्रामीण इलाकों के 80 प्रतिशत लोग वह हैं जो भूमि अधिग्रहण का शिकार हुए हैं। भारत में 1995 से अब तक तकरीबन तीन लाख किसानों ने आत्महत्या की है।

कुछ राज्य इन घटनाओं को छिपाने–दबाने की कोशिश करते हैं और ऐसी मौतों को दूसरी श्रेणियों में हुई मौत से जोड़कर दिखाते हैं। समान कृषि नीति के तहत बड़े पैमाने पर सब्सिडी देने वाले यूरोप में भी मौतों की श्रृंखला रुकने का नाम नहीं ले रही।

फ्रांस में एक वर्ष में 500 किसानों के आत्महत्या करने की रिपोर्ट आई है तो आयरलैंड, ब्रिटेन, रूस और आस्ट्रेलिया में किसान मरने को विवश हो रहे हैं। हालांकि भारत में हम यही कहते हैं कि कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन यह वास्तविकता नहीं है। हमारी आबादी के 52 प्रतिशत लोगों को रोजगार देने वाले कृषि का हिस्सा देश की कुल जीडीपी में लगातार घट रहा है। मैं लंबे समय से कहता आया हूं कि छोटे किसानों को अपना चूल्हा जलाए रखने अथवा रोटी खाने के लिए बहुस्तरीय रोजगार मिलना चाहिए।

फ्रांस में एक वर्ष में 500 किसानों के आत्महत्या करने की रिपोर्ट आई है तो आयरलैंड, ब्रिटेन, रूस और आस्ट्रेलिया में किसान मरने को विवश हो रहे हैं। हालांकि भारत में हम यही कहते हैं कि कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन यह वास्तविकता नहीं है। हमारी आबादी के 52 प्रतिशत लोगों को रोजगार देने वाले कृषि का हिस्सा देश की कुल जीडीपी में लगातार घट रहा है।

भारतीय कृषि की हालत भी दयनीय है। इस बारे में कुछ अध्ययन बताते हैं कि तकरीबन 58 प्रतिशत किसान मनरेगा पर निर्भर हैं, जो उन्हें वर्ष में न्यूनतम 100 दिन की रोजगार गारंटी उपलब्ध कराता है। हालांकि स्थिति अभी खराब बनी हुई है। जो लोग देश को खाना खिलाते हैं वही वास्तव में भूखे सोने को विवश हैं। प्रत्येक रात में तकरीबन 60 फीसद लोग भूखे सोते हैं। किसानों की इस त्रासदी से खराब बात कुछ और नहीं हो सकती। यह सब किसी प्राकृतिक आपदा के चलते नहीं हो रहा और न ही किसी वायरस के फैलने से है कि पूरी दुनिया में किसान मर रहे हैं अथवा आत्महत्या करने को विवश हैं। यह वैश्विक अर्थव्यवस्था की डिजाइन का हिस्सा है, जिस कारण किसान खेती के काम से विमुख हो रहे हैं।

खाद्यान्न उत्पादन के लिए मिल रही सब्सिडी कृषि व्यवसाय में लगी कंपनियों के हाथों में जा रही है। सामान्य तौर पर माना यही जाता है कि कोई भी देश आर्थिक रूप से तभी बड़ा और विशाल हो सकता है जब कुल जीडीपी में कृषि का हिस्सा घटे अथवा नीचे लाया जाए।

अमेरिका की कुल जीडीपी में कृषि क्षेत्र की भागीदारी 4 प्रतिशत है और भारत में यह 14 प्रतिशत से कम है। 2020 के अंत तक यह अनुपात घटकर 10 प्रतिशत पर आ सकता है। इसका छोटे स्तर की कृषि पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। पिछले सात वर्षों में 2007 से 2012 के बीच 3.2 करोड़ किसानों ने खेती को अलविदा कह दिया और वह शहरों में मध्यम स्तर के रोजगार के लिए आकर्षित हुए हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक प्रति दिन 2500 किसान खेती छोड़ रहे हैं। दूसरे अध्ययनों के मुताबिक प्रति दिन 50 हजार लोग गांवों से कस्बों अथवा शहरों में स्थानांतरित हो रहे हैं, जिनमें किसान भी शामिल हैं। एनएसएसओ की रिपोर्ट के मुताबिक 42 प्रतिशत किसान दूसरे विकल्प मिलने पर खेती छोड़ना चाहते हैं। कृषि क्षेत्र में अग्रणी पंजाब राज्य में 98 प्रतिशत ग्रामीण परिवार कर्ज में डूबे हैं। यदि पंजाब में ऐसी स्थिति है तो देश के बाकी राज्यों की हालत को समझा जा सकता है। ऐसी हालत में किसानों का मरना स्वाभाविक है। यह केवल समय की बात है कि कब एक प्रजाति के तौर पर किसानों का खात्मा होता है। ❑

विकास की भेंट चढ़ती उपजाऊ भूमि

कुछ साल पहले बंजर भूमि विकास विभाग द्वारा बंजर भूमि विकास कार्य बल के गठन का भी प्रस्ताव था। कहा गया कि रेगिस्तानी, पर्वतीय, घाटियों, खानों आदि दुर्गम भूमि की गैर वनीय बंजर भूमि को स्थायी उपयोग के लायक बनाने के लिए यह कार्य–बल काम करेगा लेकिन सब कागजों पर ही सिमटा रहा।

■ पंकज चतुर्वेदी

किसानों की जमीन अधिग्रहण के मामले में हाल में सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ तल्ख टिप्पणी की है। देश के छोटे–बड़े शहरों में जहां अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, वहां साल–दो साल पहले तक खेती होती थी।

गांव वालों से औद्योगिकीकरण के नाम पर औने–पौने दाम पर जमीन छीनकर हजार गुणा दर पर बिल्डिरों को दे दी गई। गंगा और जमुना के दोआब का इलाका सदियों से देश की खेती की रीढ़ रहा है। यहां की जमीन सोना उगलती है। लेकिन विकास के नाम पर कृषि भूमि पर कंक्रीट के जंगल रोप दिए गए। मुआवजा बांट दिया और हजारों बेरोजगारों की फौज खड़ी कर दी गई। इससे पहले सिंगूर, नंदीग्राम, जैतापुर, भट्टा पारसौल जैसी लंबी सूची है।

देश में स्पेशल इकानोमिक जोन बनाए जा रहे है, सड़क, पुल, कालोनी – सभी के लिए जमीन चाहिए, वह जमीन जिस पर किसान का हल चलता हो। सवाल है कि विकास योजनाओं के लिए सरकार को देश की अर्थव्यवस्था का मूल आधार रहे खेत उजाड़ने पर क्यों मजबूर होना पड़ रहा है? किसान के खेत पर सबकी नजर लगी है। उस पर सड़कें, हवाई अड्डे बन रहे हैं, महानगरों की बढ़ती आबादी की जरूरत से अधिक निवेश के नाम पर बनाई जा रही बहुमंजिली इमारतों का ठिकाना भी उर्वर जमीन ही है। तमाम घटनाएं गवाह हैं कि कारखानों के लिए जमीन जुटाने के नाम पर जब खेतों को उजाड़ा जाता है तो लोगों का गुस्सा भड़कता है जबकि नक्शे और आंकड़ों में तस्वीर दूसरा पहलू कुछ और कहता है।

देश में बंजर बड़ी लाखों–लाख हेक्टेयर जमीन को विकास का इंतजार है। लेकिन क्योंकि सब पका–पकाया खाना चाहते हैं इसलिए बेकार पड़ी जमीन को लायक बनाने की मेहनत से बचते हुए कृषि भूमि पर ही नजर गड़ जाती है। विदित हो कि देश में कुल 32 करोड़ 90 लाख हेक्टेयर भूमि में से 12 करोड़ 95 लाख 70 हजार हेक्टेयर बंजर है। भारत में बंजर भूमि के ठीक–ठीक आकलन के लिए अब तक कोई विस्तृत सर्वेक्षण तो नहीं हुआ है, फिर भी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय का अनुमान है कि सर्वाधिक बंजर जमीन (दो करोड़ एक लाख 42 हजार हेक्टेयर) मध्यप्रदेश में है। उसके बाद राजस्थान में एक करोड़ 99

देश में बंजर बड़ी लाखों–लाख हेक्टेयर जमीन को विकास का इंतजार है। लेकिन क्योंकि सब पका–पकाया खाना चाहते हैं इसलिए बेकार पड़ी जमीन को लायक बनाने की मेहनत से बचते हुए कृषि भूमि पर ही नजर गड़ जाती है। विदित हो कि देश में कुल 32 करोड़ 90 लाख हेक्टेयर भूमि में से 12 करोड़ 95 लाख 70 हजार हेक्टेयर बंजर है।

लाख 34 हजार हेक्टेयर, महाराष्ट्र में एक करोड़ 44 लाख एक हजार हेक्टेयर बंजर जमीन है। आंध्रप्रदेश में एक करोड़ 14 लाख 16 हजार, कर्नाटक में 91 लाख 65 हजार, उत्तर प्रदेश में 80 लाख 61 हजार, गुजरात में 98 लाख 36 हजार, ओडिशा में 63 लाख 84 हजार तथा बिहार में 54 लाख 58 हजार हेक्टेयर जमीन बेकार है। पश्चिम बंगाल में 25 लाख 36 हजार, हरियाणा में 24 लाख 78 हजार, असम में 17 लाख 30 हजार, हिमाचल में 19 लाख 78 हजार, जम्मू–कश्मीर में 15 लाख 65 हजार, केरल में 12 लाख 79 हजार हेक्टेयर जमीन, धरती पर बेकार है । पंजाब सरीखे कृषि प्रधान राज्य में 12 लाख 30 हजार हेक्टेयर, उत्तर–पूर्व के मणिपुर, मेघालय और नागालैंड में क्रमशः 14 लाख 38 हजार, 19 लाख 18 हजार और 13 लाख 86 हजार हेक्टेयर भूमि बंजर है।

सर्वाधिक बंजर भूमि वाले मध्यप्रदेश में भूमि के क्षरण की रफ्तार भी सर्वाधिक है। यहां गत दो दशकों में बीहड़ बंजर दो गुने होकर 13 हजार हेक्टेयर तक हो गए हैं। धरती पर जब पेड़–पौधों की पकड़ कमजोर होती है तब बरसात के पानी से मिट्टी बहने लगती है। जमीन के समतल न होने के कारण पानी को जहां जगह मिलती है, मिट्टी काटते हुए बहता जाता है। इस प्रक्रिया में बनने वाली नालियां कालांतर में बीहड़ का रूप ले लेती हैं। एक बार बीहड़ बन जाए तो हर बारिश में वह और गहरा होता चला जाता है। इस तरह के भूक्षरण से हर साल करीब चार लाख हेक्टेयर जमीन उजड़ रही है। बीहड़ रोकने का काम जिस गति से चल रहा है उसके अनुसार बंजर खत्म होने में 200 वर्ष लगेंगे, लेकिन तब तक बीहड़ ढाई गुना अधिक हो चुके होंगे। बीहड़ों के बाद, धरती के लिए सर्वाधिक जानलेवा, खनन–उद्योग रहा है।

पिछले तीस वर्षों में खनिज–उत्पादन 50 गुना बढ़ा लेकिन यह लाखों हेक्टेयर जंगल और खेतों को वीरान बना गया है। नई खदान मिलने पर पहले वहां के जंगल साफ होते हैं फिर खदान में कार्यरत श्रमिकों की दैनिक जलावन की जरूरत पूर्ति हेतु आस–पास की हरियाली होम होती है। तदुपरांत खुदाई की प्रक्रिया में जमीन पर गहरी–गहरी खदानें बनाई जाती है, जिनमें बारिश के दिनों में पानी भर जाता है । वहीं खदानों से निकली धूल– रेत और अयस्क मिश्रण दूर–दूर तक की जमीन की उर्वरा शक्ति हजम कर जाते हैं। खदानों के गैर नियोजित अंधाधुंध उपायोग के कारण जमीन के क्षारीय होने की समस्या भी बढ़ी है। ऐसी जमीन पर कुछ भी उगाना नामुमकिन होता है। हरितक्रांति के नाम पर जिन रासायनिक खादों द्वारा अधिक अनाज पैदा करने का नारा दिया जाता रहा है, वह भी जमीन की कोख उजाड़ने की जिम्मेदार रही हैं।

रासायनिक खादों के अंधाधुंध इस्तेमाल से पहले कुछ साल तो दुगनी–तिगुनी पैदावार मिली, पर उसके बाद भूमि बंजर होती जा रही है। जल समस्या के निराकरण के नाम पर मनमाने ढंग से रोपे जा रहे नलकूपों के कारण भी जमीन कटने–फटने की शिकायतें सामने आई हैं। सार्वजनिक चरागाहों के सिमटने के बाद रहे बचे घास के मैदानों में बेतरतीब चराई के कारण भी जमीन के बड़े हिस्से के बंजर होने की घटनाएं मध्य भारत में सामने आई हैं। सिंचाई के लिए बनाई गई कई नहरों और बांधों के आस–पास जल रिसने से भी दल–दल बन रहे हैं। वर्ष 1985 स्थापित राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड ने 20 सूत्रीय कार्यक्रम के 16 वें सूत्र के तहत बंजर भूमि पर वनीकरण और वृक्षारोपण का कार्य शुरू किया था। इसके तहत एक करोड़ 17 लाख 15 हजार हेक्टेयर भूमि को हरा– भरा किया गया लेकिन आंकड़ों का खोखलापन सेटेलाइट द्वारा खींचे गए चित्रों से उजागर हो चुका है।

कुछ साल पहले बंजर भूमि विकास विभाग द्वारा बंजर भूमि विकास कार्य बल के गठन का भी प्रस्ताव था। कहा गया कि रेगिस्तानी, पर्वतीय, घाटियों, खानों आदि दुर्गम भूमि की गैर वनीय बंजर भूमि को स्थायी उपयोग के लायक बनाने के लिए यह कार्य–बल काम करेगा लेकिन सब कागजों पर ही सिमटा रहा।

केंद्र व राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के कब्जे में पड़ी अनुत्पादक भूमि के विकास के लिए कोई कवायद न होना विडंबना है। सरकार बड़े औद्योगिक घरानों को तो बंजर भूमि सुधार के लिए आमंत्रित कर रही है, लेकिन छोटे काश्तकारों की भागीदारी के प्रति उदासीन है। विदित हो देश में कोई तीन करोड़ 70 लाख हेक्टेर बंजर भूमि कृषि योग्य समतल है। भूमिहीनों को इसका मालिकाना हक दे उस जमीन को कृषि योग्य बनाना क्रांतिकारी कदम होगा। स्पेशल इकानामिक जोन बनाने के लिए अनुपयोगी, अनुपजाऊ जमीन ली जाए। इससे जमीन का क्षरण रुकेगा, हरी–भरी जमीन पर मंडरा रहे संकट के बादल छंटेंगे। जमीन का मुआवजा बांटने में जो खर्च होता है, उसे बंजर भूमि के समतलीकरण, जल संसाधन जुटाने, सड़क, बिजली मुहैया करवाने जैसे कामों में खर्च करना चाहिए।❑

मेक इन इंडिया की नई राह

एक ओर भारत के लिए शहरीकरण की चुनौतियां हैं, लेकिन दूसरी ओर आर्थिक विकास और नियंत्रण व्यापार बढ़ाने की भी भारी संभावनाएं हैं। इतिहास के पन्ने इस बात के गवाह हैं कि जिन देशों में शहरों की जितनी अधिक प्रगति होती है, वहां आर्थिक अवसरों की उपलब्धता उतनी ही अधिक होती है। यह माना जाता है कि शहर किसी भी राष्ट्र के विकास के आधार स्तंभ होते हैं. . .

■ **जयंतीलाल भंडारी**

पंद्रह अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले स्वाधीनता दिवस संबोधन में भारत को आयात का नहीं बल्कि निर्यात का नया केंद्र और देश को दुनिया का नया मेन्युफैक्चरिंग गढ़ बनाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने ग्लोबल निवेशकों और विदेशों में बसे प्रवासियों को देश में मेन्यूफैक्चरिंग सेक्टर में निवेश करने का न्योता देते हुए कहा कि आइए, हिंदुस्तान में निर्माण कीजिए (कम, मेक इन इंडिया)। जहां एक ओर उन्होंने भारत में आने के लिए ग्लोबल निवेशकों को एक अच्छा संदेश दिया, वहीं दूसरी ओर उन्होंने युवाओं से उद्यमी तथा हुनरमंद बनने का आह्वान करते हुए कहा कि भारत को 'जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट' वाले मेन्यूफैक्चरिंग उद्योगों का गढ़ बनाया जाना चाहिए ताकि देश अपनी जरूरत पूरी करने के साथ–साथ विश्व बाजार के लिए उत्पाद विनिर्मित करने वाला केंद्र बनकर उभरे।

जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट से उनका तात्पर्य उच्च गुणवत्ता वाले विनिर्मित उत्पाद और पर्यावरण अनुकूल विनिर्माण प्रक्रिया से है। निसंदेह देश और दुनिया के उद्योग और निवेश जगत ने प्रधानमंत्री मोदी के 'कम, मेक इन इंडिया' आह्वान का स्वागत किया है। ऐसे में अब देश को मेन्यूफैक्चरिंग हब और निर्यात का नया केंद्र बनाने के सपने को साकार करने के लिए तीन मंत्रों की जरूरत है।

एक, देश में कारोबार अनुकूलता की डगर आगे बढ़ाएं। दो, नियंत्रण व्यापार बढ़ाने वाले सुविधाजनक शहर तेजी से आकार ग्रहण करें और तीन, विनिर्माण और निर्यात बढ़ाने वाली कारगर रियायतें दी जाएं। इसमें कोई दो मत नहीं है कि अब देश में कारोबार मुश्किलें कम होने की उम्मीदें उभरकर सामने आ रही हैं। भारत को बेहतर और आसान कारोबारी देश बनाने के लिए मोदी सरकार ने 40 केंद्रीय श्रम कानूनों में से 16 को सरल और कारगर बनाने की रूपरेखा तैयार की है। हाल ही में सात अगस्त को केंद्र सरकार ने श्रम कानूनों में संशोधन के लिए लोकसभा में दो विधेयक पेश किए। इसके तहत महिलाओं को रात की पाली में काम करने के नियमों में ढील देने, ओवर टाइम की सीमा बढ़ाए जाने और गैर–स्नातक इंजीनियरों के लिए प्रशिक्षण जैसी व्यवस्था की जाएगी।

जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट से उनका तात्पर्य उच्च गुणवत्ता वाले विनिर्मित उत्पाद और पर्यावरण अनुकूल विनिर्माण प्रक्रिया से है। निसंदेह देश और दुनिया के उद्योग और निवेश जगत ने प्रधानमंत्री मोदी के 'कम, मेक इन इंडिया' आह्वान का स्वागत किया है। ऐसे में अब देश को मेन्यूफैक्चरिंग हब और निर्यात का नया केंद्र बनाने के सपने को साकार करने के लिए तीन मंत्रों की जरूरत है।

सरकार ने फैक्टरीज (संशोधन) बिल, 2014 और अप्रेंटिसेज (संशोधन) बिल, 2014 पेश किया। इसी तरह से सरकार ने श्रम और कारबार क्षेत्र में 'इंस्पेक्टर राज' को खत्म करने का संकेत देते हुए इंस्पेक्टरों के विवेकाधीन अधिकार खत्म कर उन्हें ज्यादा जिम्मेदार बनाए जाने की बात कही है। इस परिप्रेक्ष्य में केंद्रीय श्रम मंत्रालय शीघ्र ही नई उदार निरीक्षण योजना शुरू करने जा रहा है। जिसके तहत निरीक्षक अपनी मर्जी से जांच के लिए नहीं जा सकेगा। साथ ही निरीक्षक की अनिवार्य जांच कुछ खास मामलों तक ही सीमित होगी। इसी तरह केंद्रीय श्रम मंत्रालय के द्वारा एकीकृत वेब पोर्टल शुरू किया जाएगा। यह पोर्टल उद्योगों के लिए अनुमति प्रक्रिया को आसान बनाएगा तथा इस पोर्टल पर कंपनियां अपना सालाना रिटर्न भी दाखिल कर सकेंगी।

गौरतलब है कि पिछली कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय अध्ययन रिपोर्ट में यह कहा गया है कि यदि सरकार भारत को कारोबार के लिहाज से बेहतर बनाना चाहती है तो यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रशासनिक और नियामकीय सुधारों की मदद से लालफीताशाही कम हो। कई शोध अध्ययनों में यह तथ्य भी उभरकर सामने आया है कि भारत में उदारीकरण

की गति और प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए श्रम एवं प्रशासनिक सुधारों को गति देनी होगी।

विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित अंतरराष्ट्रीय कारोबार रिपोर्ट–2013 में कहा गया है कि भारत में कारोबारी गतिविधियों में कदम–कदम पर कठिनाइयां हैं। इस रिपोर्ट में कारोबारी प्रतिकूलता के पैमाने पर भारत को 185 देशों में 132वां स्थान दिया गया है। चूँकि देश की नई आर्थिक एवं व्यावसायिक जरूरतों के संदर्भ में पिछले दो दशकों में भारतीय उद्योगों को विश्व भर में प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के उद्देश्य से, मुद्रा–बैंकिंग, वाणिज्य, विनिमय दर और विदेशी निवेश क्षेत्र में नीतिगत बदलाव किए गए हैं। ऐसे में श्रम एवं प्रशासनिक कानूनों में बदलाव भी जरूरी दिख रहे हैं। निश्चित रूप से वैश्वीकरण के इस दौर में तेजी से औद्योगिक व कारोबारी विकास के लिए श्रम और प्रशासनिक सुधारों की ओर से आंखें मूंदना बेमानी है। इस परिप्रेक्ष्य में हम चीन का उदाहरण सामने रख सकते हैं। चीन में श्रम कानूनों को अत्यधिक उदार और लचीला बनाकर नई कार्य संस्कृति विकसित की गई है। पुराने व बंद उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों को नई जरूरतों के अनुरूप काम करने के लिए प्रशिक्षण देने की नीति भी अपनाई गई है। निश्चित रूप से औद्योगिक उत्पादन और निर्यात बढ़ाने के लिए देश में सक्षम शहरों की जरूरत है।

इन दिनों भारतीय शहरों के बारे में जो अध्ययन रिपोर्टे प्रस्तुत हो रही हैं उनसे दो महत्वपूर्ण तथ्य उभरकर सामने आ रहे हैं। एक, अब भारत में तीव्र शहरीकरण को नहीं रोका जा सकता है और दो, वैश्वीकरण से उपजे लाभों को मुट्ठी में करने के लिए भारत के शहरों को संवारना होगा।

यद्यपि एक ओर भारत के लिए शहरीकरण की चुनौतियां हैं, लेकिन दूसरी ओर आर्थिक विकास और नियंत्रण व्यापार बढ़ाने की भी भारी संभावनाएं हैं। इतिहास के पन्ने इस बात के गवाह हैं कि जिन देशों में शहरों की जितनी अधिक प्रगति होती है, वहां आर्थिक अवसरों की उपलब्धता उतनी ही अधिक होती है। यह माना जाता है कि शहर किसी भी राष्ट्र के विकास के आधार स्तंभ होते हैं। जैसे–जैसे शहरों का विकास होता है, वैसे–वैसे उसके साथ नया बाजार तैयार होता है। एक ऐसे समय में जब दुनिया के कई देश शहरीकरण से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का सामना करने एवं अपने देश के शहरों को नियंत्रण लाभ हेतु सजाने और संवारने के लिए योजनाएं बना रहे हैं, तब हमें भी देश में मौजूदा शहरों को मेन्यूफैक्चरिंग सेक्टर और निर्यातक इकाइयों की दृष्टि से उपयुक्त बनाने और अच्छे नए शहरों के निर्माण के लिए तेजी से कदम बढ़ाने होंगे।

इन दिनों भारतीय शहरों के बारे में जो अध्ययन रिपोर्टे प्रस्तुत हो रही हैं उनसे दो महत्वपूर्ण तथ्य उभरकर सामने आ रहे हैं। एक, अब भारत में तीव्र शहरीकरण को नहीं रोका जा सकता है और दो, वैश्वीकरण से उपजे लाभों को मुट्ठी में करने के लिए भारत के शहरों को संवारना होगा।

इस परिप्रेक्ष्य में उल्लेखनीय है कि हाल ही में वित्तमंत्री अरुण जेटली ने वर्ष 2014–15 का आम बजट पेश करते हुए 100 स्मार्ट सिटी बसाने की योजना प्रस्तुत की है। ये स्मार्ट सिटी बड़े तथा मझले शहरों के आधुनिक उपनगर के रूप में विकसित की जाएंगी। हमें कुछ चमकते हुए शहरों को ही नियोजित शहर बनाने के साथ–साथ वर्ष 2014–15 के नए बजट में चिन्हित नए स्मार्ट शहरों के निर्माण पर विशेष ध्यान देना होगा। चूंकि ठसाठस आबादी और अनियोजित विकास वाले शहरों में बुनियादी ढांचा निर्माण काफी महंगा होता है और इसमें समय भी काफी लगता है, कुछ अर्थ विशेषज्ञ यह कह रहे हैं कि भारत का असली विकास तो नए शहरों के निर्माण में है। नियंत्रण जरूरतों की पूर्ति करने वाले शहरों के विकास की दृष्टि से भारत के लिए यह एक अच्छा संयोग है कि अभी देश में ज्यादातर शहरी ढांचे का निर्माण बाकी है और शहरीकरण की चुनौतियों के मद्देनजर देश के पास शहरी मॉडल को परिवर्तित करने और बेहतर सोच के साथ शहरों के विकास का पर्याप्त समय अभी मौजूद है।

इन दोनों मंत्रों के साथ–साथ देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'कम, मेक इन इंडिया' के सपने को साकार करने के लिए सरकार को ऐसी रणनीति पर भी काम करना होगा जिसके तहत घरेलू मेन्यूफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने की भरपूर कोशिश की जाए। लाइसेंसिंग में ढिलाई दी जाए और जमीन अधिग्रहण कानून में बदलाव किए जाएं।

हम आशा करें कि मोदी सरकार देश में औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि के साथ–साथ दुनिया के बाजार में भारतीय निर्यात बढ़ाने के लिए हरसंभव प्रयास करेगी। उम्मीद है कि मोदी सरकार में विनिर्माताओं, निर्यातकों और निवेशकों का बढ़ा हुआ भरोसा और सरकार के इस दिशा में कारगर प्रयास भारत को दुनिया का चमकता हुआ विनिर्माण केंद्र और निर्यात का नया केंद्र बनाएंगे। ❑

जरूरत है शोध और अनुसंधान को बढ़ाने की

देश के सर्वांगीण विकास के लिए उन्नत और नवीनतम स्वदेशी प्रौद्योगिकी की जरूरत है क्योंकि आत्मनिर्भरता का कोई विकल्प नहीं है। देश की विकास प्रक्रिया में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विशेष महत्व है। देश की मूलभूत समस्याओं यथा जनसंख्या, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, रक्षा, पर्यावरण, ऊर्जा एवं खाद्यान्न इत्यादि के निवारण में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकता है।

■ शशांक द्विवेदी

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) के एक कार्यक्रम में वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वक्त से पहले काम करना हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। डीआरडीओ के कई प्रोजेक्ट्स में पिछड़ने पर प्रधानमंत्री ने सख्त संदेश देते हुए कहा कि अब 'चलता है' वाला रवैया बिल्कुल नहीं चलेगा और इसे छोड़ना ही होगा। वास्तव में इस डिफेंस रिसर्च बॉडी को अब समय से पहले काम पूरा करने की योजना बनानी होगी तभी हम विश्व में अग्रणी बन पाएंगे।

असल में डीआरडीओ के लाइट कम्बैट एयरक्रॉफ्ट तेजस, नाग मिसाइल, लंबी दूरी तक सतह से हवा में मार करनेवाली मिसाइल और एयरबर्न अर्ली वार्निंग ऐंड कंट्रोल सिस्टम जैसे कई प्रोजेक्ट कई सालों से लटके पड़े हैं, जिस कारण इनकी लागत भी कई गुना बढ़ गई है। कई प्रोजेक्ट्स बजट की कमी से भी लटके पड़े हैं। परियोजनाओं में देरी और वैज्ञानिकों के पलायन का सामना कर रहे डीआरडीओ को नया रूप देने के लिए यूपीए की पिछली सरकार ने दो साल पहले रामाराव समिति गठित की थी लेकिन इस समिति की सिफारिशें भी सरकारी लालफीताशाही का शिकार हो गई।

रामाराव समिति ने कई महत्वपूर्ण बातों के अलावा एक टेक्नोलाजी कमीशन के गठन की सिफारिश की थी, जिससे इस रक्षा संगठन की कार्यपद्धति का पूरा तौर–तरीका ही बदल सकता था। फिर भी उसकी सिफारिशों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और आज हालत यह है कि डीआरडीओ की कई परियोजनाएं अधर में लटकी हैं और कई काफी देरी से ही पूरी हो पाएंगी। कुल मिलाकर रक्षा संगठन में इस तरह की कार्यस्थिति को बदलना होगा।

डीआरडीओ के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री की शोध, अनुसंधान और विकास के लिए चिंता जायज है, लेकिन सच बात तो यह है कि एनडीए की वर्तमान सरकार ने भी बजट में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र की भारी उपेक्षा की है। केंद्रीय बजट में प्रौद्योगिकी विकास कोष के लिए मात्र 100 करोड़ रपए आवंटित हुए हैं। बजट में देश में बुनियादी शोध, अनुसंधान और विकास के लिए कुछ खास नहीं किया गया है। कुल मिलाकर सरकार ने विज्ञान और तकनीक के पूरे क्षेत्र के लिए बजट में जीडीपी का लगभग एक प्रतिशत दिया है जो उम्मीद से काफी कम है।

हालांकि पिछले कई सालों से केंद्र सरकार यह कहती रही है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का कम से कम दो फीसद वार्षिक खर्च करना चाहिए। जबकि

अमेरिका, चीन सहित दुनिया के कई छोटे–बड़े देश लगातार विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र पर बजट आवंटन बढ़ाते रहे हैं। बजट की कमी की वजह से भी डीआरडीओ के कई प्रोजेक्ट अधर में लटके हुए हैं। अगर हम एक विकसित देश बनने की इच्छा रखते हैं तो आतंरिक और बाहरी चुनौतियों से निपटने के लिए हमें दूरगामी रणनीति बनानी पड़ेगी। भारत पिछले छह दशकों के दौरान अपनी अधिकांश सुरक्षा जरूरतों की पूर्ति दूसरे देशों से हथियारों को खरीदकर कर रहा है। वर्तमान में हम अपनी सैन्य जरूरतों का 70 फीसद हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आयात कर रहे हैं। रक्षा क्षेत्र से जुड़े भावी ऑर्डरों को देखते हुए ऐसा लगता है कि इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए मजबूत कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में भी हमारी आयात पर निर्भरता बनी रहेगी।

प्रौद्योगिकी के बदलते दौर में भी हालात ऐसे हो गए हैं कि कई साल पहले के प्रोजेक्ट्स पर अब भी काम हो रहा है। रक्षा क्षेत्र में लगातार उन्नत होती प्रौद्योगिकी की वजह से ऐसे उत्पाद बाजार में आ जाते हैं तो वर्तमान हालात से दो कदम आगे होते हैं और हम तब तक उनका अनुमान भी नहीं लगा पाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार, ऐसा न हो कि किसी प्रोजेक्ट की रूपरेखा 1992 में बने और 2014 में भी हम कहें कि इसे पूरा करने में थोड़ा और समय लगेगा। उन्होंने कहा कि अगर विश्व किसी प्रोजेक्ट पर मिशन 2020 के तहत काम कर रहा है तो हमें उसे 2018 तक पूरा कर लेना चाहिए। रक्षा वैज्ञानिकों से प्रधानमंत्री का यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या वे हालात के मुताबिक तैयारी कर पाने में सक्षम हैं और क्या वे विश्व के समक्ष कोई एजेंडा रख सकते हैं? सच बात तो यह है कि हम विश्व को राह दिखाकर ही लीडर बन सकते हैं न कि उनके पदचिह्नों पर चलकर। यह समय की मांग है और विश्व हमारे लिए इंतजार नहीं करेगा। हमें समय से आगे चलना होगा।

देश के महत्वपूर्ण संस्थानों को समयबद्ध तरीके से अपने प्रोजेक्ट्स पूरे करने होंगे। बेहतर तो यही होगा कि वे समय से पहले ही पूरे हो जाएं। डीआरडीओ सहित प्रमुख सामरिक संस्थानों को ग्लोबल समुदाय को ध्यान में रखकर खुद में बदलाव लाना होगा तभी देश को नवीनतम प्रौद्योगिकी हासिल होगी। देश में इस समय इस्तेमाल हो रही तकनीक तकरीबन पूरी तरह आयातित है। इनमें 50 प्रतिशत तो बिना किसी बदलाव के ज्यों की त्यों इस्तेमाल होती है और 45 प्रतिशत थोड़ा–बहुत हेरफेर के साथ इस्तेमाल होती है। इस तरह विकसित तकनीक के लिए हमारी निर्भरता आयात पर है। इस स्थिति को बदलना होगा, तभी भारत को विकसित देश बनाने का सपना साकार हो पाएगा।

प्रौद्योगिकी के बदलते दौर में भी हालात ऐसे हो गए हैं कि कई साल पहले के प्रोजेक्ट्स पर अब भी काम हो रहा है। रक्षा क्षेत्र में लगातार उन्नत होती प्रौद्योगिकी की वजह से ऐसे उत्पाद बाजार में आ जाते हैं तो वर्तमान हालात से दो कदम आगे होते हैं और हम तब तक उनका अनुमान भी नहीं लगा पाते हैं।

देश के सर्वांगीण विकास के लिए उन्नत और नवीनतम स्वदेशी प्रौद्योगिकी की जरूरत है क्योंकि आत्मनिर्भरता का कोई विकल्प नहीं है। देश की विकास प्रक्रिया में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विशेष महत्व है। देश की मूलभूत समस्याओं यथा जनसंख्या, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, रक्षा, पर्यावरण, ऊर्जा एवं खाद्यान्न इत्यादि के निवारण में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकता है। अब देश के शीर्ष वैज्ञानिकों से विचार करके पांच–पांच वर्षों के लिए शोध और अनुसंधान के लक्ष्य निर्धारित किए जाने चाहिए ताकि यह जाना जा सके कि देश चरणबद्ध तरीके से आखिर कितना आगे जा सकता है और इसके लिए कितने धन की आवश्यकता होगी। इस धन की उपलब्धता आगे आने वाली हर सरकार को करनी ही होगी। सरकार को विज्ञान और अनुसंधान के लिए और अधिक धनराशि स्वीकृत करनी होगी ताकि वैज्ञानिक अनुसंधान में धन की कमी आड़े न आए और देश में वैज्ञानिक शोध और आविष्कार का एक सकारात्मक माहौल बने।

मौजूदा हालात यह हैं कि डीआरडीओ में भी हर साल औसतन केवल 70 युवा वैज्ञानिक ही शामिल होते हैं। डीआरडीओ बड़े पैमाने पर प्रतिभाओं को आगे लाता है लेकिन भारत के अशांत पड़ोस को देखते हुए यह संख्या कम ही है। पिछले पांच दशकों में डीआरडीओ ने अग्नि–5 मिसाइल, आईएनएस अरिहंत परमाणु पनडुब्बी और कई अन्य प्रणालियों के रूप में बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। लेकिन यह डीआरडीओ की योग्यता और प्रतिभा को देखते हुए कम है और इसे बढ़ाए जाने की जरूरत है। देश को सुरक्षा मुहैया कराने में प्रौद्योगिकी बड़ी भूमिका अदा करती है। इसलिए सरकार को नवीनतम प्रौद्योगिकी के अनुसंधान के लिए समयबद्ध योजनाएं बनानी चाहिए। ❑

समस्या

हर साल बाढ़ से बिगड़ते हालात

वास्तव में बाढ़ को हर वर्ष आने वाली आपदा मानकर इससे होने वाले दुख–दर्द को उपेक्षित करना पीड़ितों के प्रति बहुत बड़ा अन्याय है, अनुचित है। हमें इस सवाल का सामना करना चाहिए कि आखिर बाढ़ नियंत्रण पर इतना खर्च करने के बाद भी बाढ़ से जुड़ा दुख–दर्द क्यों बढ़ता ही जा रहा है।

■ भारत डोगरा

देश के मैदानी इलाके इस समय बाढ़ की विभीषिका से जूझ रहे हैं। हर साल बाढ़ प्रभावित अनेक समुदाय अपनी जड़ों से उजड़ते हैं और बाढ़ का पानी उतर जाने के बाद वह उसी जगह नये सिरे से अपनी जीवनचर्या को संवारने का प्रयास करने लगते हैं। अधिक विनाशकारी बाढ़ में तो बहुत से लोग मारे भी जाते हैं। यही नहीं, बाढ़ के बाद की स्थिति में भी अनेक लोग बीमारी और जरूरी वस्तुओं के अभाव में दम तोड़ देते हैं या बहुत विकट स्थिति में जीते हैं। कई बार नदी का कटाव होने से या मलबा व बालू बहकर आने से ग्रामीणों के खेत बह जाते हैं या खेती योग्य नहीं रह जाते हैं। यानी उनकी रोजी–रोटी छिन जाती है। बाढ़ प्रभावित तमाम परिवार अस्थाई शिविर व झोपड़ियों में बहुत ही कठिन स्थिति में रहने को विवश होते हैं।

वास्तव में बाढ़ को हर वर्ष आने वाली आपदा मानकर इससे होने वाले दुख–दर्द को उपेक्षित करना पीड़ितों के प्रति बहुत बड़ा अन्याय है, अनुचित है। हमें इस सवाल का सामना करना चाहिए कि आखिर बाढ़ नियंत्रण पर इतना खर्च करने के बाद भी बाढ़ से जुड़ा दुख–दर्द क्यों बढ़ता ही जा रहा है। मौजूदा समय में यह मुख्य रूप से दो कारणों से बढ़ा है। पहली वजह है फ्लड प्रोन एरिया का बढ़ना। आज की तारीख में फ्लड प्रोन एरिया या बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हजारों किमी बाढ़–रक्षा तटबंध बनने के बाद भी बढ़ता जा रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1980–2010 के तीन दशकों में इसमें लगभग 25 प्रतिशत की वृद्धि हो गई है।

बाढ़ से बढ़ते दुख–दर्द का एक अन्य कारण यह है कि जो बाढ़ अधिक वेग से आती है और जिसकी विनाशक क्षमता अधिक होती है, वह अब अधिक आने लगी है। अचानक और तेजी से अधिक जलराशि वाली बाढ़ को फ्लैश फ्लड भी कहा जाता है। इस तरह की बाढ़ तब आती है जब बांध या बैराज से बहुत सा पानी एक साथ छोड़ा जाता है या अचानक कोई तटबंध टूट जाता है। इस तरह से आई बाढ़ बहुत विनाशक सिद्ध होती है और इससे जान–माल के नुकसान का बहुत बड़ा खतरा होता है।

बाढ़ से बढ़ते दुख–दर्द का एक अन्य कारण यह है कि जो बाढ़ अधिक वेग से आती है और जिसकी विनाशक क्षमता अधिक होती है, वह अब अधिक आने लगी है। अचानक और तेजी से अधिक जलराशि वाली बाढ़ को फ्लैश फ्लड भी कहा जाता है। इस तरह की बाढ़ तब आती है जब बांध या बैराज से बहुत सा पानी एक साथ छोड़ा जाता है या अचानक कोई तटबंध टूट जाता है। इस तरह से आई बाढ़ बहुत विनाशक सिद्ध होती है और इससे जान–माल के नुकसान का बहुत बड़ा खतरा होता है।

सदियों से बाढ़ प्रभावित कुछ क्षेत्रों में पहले बाढ़ के साथ जीना इसलिए सरल था क्योंकि बाढ़ का पानी बड़ी मात्रा में बेशक आता था पर जितनी तेजी से आता था, उतनी ही तेजी से निकल भी जाता था। इसका सकारात्मक पहलू यह था कि उसके साथ आई उपजाऊ मिट्टी खेती के बहुत अनुकूल होती थी और जो भी फसल इन खेतों में बोई जाती थी वह बहुत लाभ देती थी लेकिन अब देर तक जल–भराव रहने के कारण समय से खेती नहीं हो पाती है।

यही नहीं, ठहरे हुए पानी के कारण तमाम तरह के संक्रामक रोगों के साथ ही मच्छरजनित बीमारियों का प्रकोप बढ़ रहा है। शहरों में निर्माण कार्य में असावधानी, निकासी की गड़बड़ी व मलबे के ढेर के कारण भी जल–भराव की समस्या तेजी से बढ़ रही है। पॉलीथीन कचरे ने भी यह समस्या बढ़ाई है। पहले वर्षा का बहुत सा पानी तालाबों, पोखरों में समा जाता था, लेकिन आज इन पर अतिक्रमण हो जाने या पाट दिए जाने के कारण यह वर्षजल बाढ़ का कारण बन रिहायशी इलाके या

खेती को क्षतिग्रस्त कर रहा है।

अनेक क्षेत्रों में आज भी बाढ़ और सूखे दोनों का समाधान यह है कि इन तालाबों, पोखरों को पुननिर्मित कर जलापूर्ति और बाढ़ की रोकथाम की जाए। वर्षा का बहुत सा पानी इन तालाबों में समाने पर सूखे दिनों में राहत देगा और भू–जल में वृद्धि करेगा। जहां–जहां छोटे चेक डैम, मेढबंदी, वाटर हारवेस्टिंग आदि उपाय वर्षा जल रोकने में कारगर होंगे, वहीं बाढ़ व सूखे दोनों से भी बचाव होगा।

पहले से बने तटबंधों व बांधों के बेहतर रख–रखाव व बेहतर प्रबंधन पर भी ध्यान देना जरूरी है। इनके रख–रखाव में होने वाले भ्रष्टाचार व लापरवाही को रोकना बहुत जरूरी है। एक शोध पत्र के मुताबिक बाढ़ के खतरे के प्रबंधन के लिए पिछले 50 वर्षों के दौरान तटबंधों का निर्माण मुख्य रणनीति रहा है।

अध्ययन में बताया गया है कि तटबंध निर्माण से नदी प्रवाह क्षेत्र में मिट्टी–गाद की मात्रा बढ़ती है व नदी का स्तर आसपास की भूमि से ऊपर उठता है। गंगा घाटी के कुछ क्षेत्रों में जहां तटबंध बनाए गए हैं, वहां नदी स्तर में वृद्धि की दर दस सेंटीमीटर प्रति वर्ष या एक मीटर प्रति दशक से भी अधिक पाई गई है। इसका अर्थ यह हुआ कि निर्माण के चार दशक बाद नदी स्तर आसपास की भूमि से चार मीटर तक ऊपर उठ सकता है। इस कारण नदी का तटबंध भीतर सिमटे रहने की संभावना कम होती है व तटबंध टूटने की आशंका बढ़ती जाती है।

एक अन्य अध्ययन की रिपोर्ट के अनुसार, तमाम लोगों से बातचीत के आधार पर पता चला कि उत्तर प्रदेश व बिहार के गांवों के अनेक निवासी बाढ़ को अपने गांव समाज की एक प्राकृतिक स्थिति मानते हैं और कहते हैं कि उनके गांव के हालात आज की अपेक्षा तटबंध बनने से पहले ज्यादा बेहतर थे। गांववासियों के अनुसार तटबंध बनने से पहले बाढ़ का

पानी शीघ्रता से निकल जाता था और उपजाऊपन बढ़ाने वाली गाद की पतली परत उनके खेतों को उपजाऊ बना देती थी।

आज के समय में अनेक गांवों के सामने गंभीर समस्याएं हैं। जहां बाढ़ अधिक केन्द्रित है वहां बालू अधिक जमा हो रही है और बाढ़ व जल जमाव की समस्या बढ़ गई है। यही नहीं, जहां तटबंध के कारण थोड़ा सा भी बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है वहां भूजल रिचार्ज नहीं होता है और मिट्टी की नमी में ऐसी कमी आती है जैसी सूखे के समय आती है। उत्तर प्रदेश व आसपास के क्षेत्रों में हाल के वर्षों में बाढ़ के विकट होते रूप के साथ अब तक के बाढ़ नियंत्रण उपायों के वास्तविक परिणामों को सही ढंग से समझने की बहुत जरूरत है। इस तरह की समझ बनाकर जो नीतिगत बदलाव जरूरी समझे जाएं, उसके लिए सरकार को तैयार रहना चाहिए। सही व संतुलित समझ बनाने में प्रभावित लोगों से विस्तृत चर्चा करने के साथ–साथ प्रभावित लोगों में कार्यरत सामाजिक कार्यकर्ताओं व संस्थाओं से भी परामर्श करना चाहिए व इस विषय पर गंभीरता से कार्य करने वाले अनुसंधानकर्ताओं से भी।

पहले वर्षा का बहुत सा पानी तालाबों, पोखरों में समा जाता था, लेकिन आज इन पर अतिक्रमण हो जाने या पाट दिए जाने के कारण यह वर्षजल बाढ़ का कारण बन रिहायशी इलाके या खेती को क्षतिग्रस्त कर रहा है।

बाढ़ नियंत्रण के ऐसे पुनर्मूल्यांकन में विशेषकर इस बारे में विचार करने की जरूरत है कि जो भारी–भरकम बजट बांधों और तटबंधों को बनाने के लिए प्रायः स्वीकृत हो जाता है, क्या उसका बेहतर उपयोग बाढ़–प्रभावित इलाकों में कृषि, पशुपालन, खाद्य व चारा उपलब्धि, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल उपलब्धि व सबसे अधिक जल–निकासी सुधारने में नहीं किया जाना चाहिए! ❑

आधी आबादी के स्वास्थ्य और स्वच्छता का मसला

जब तक समाज में यह धारणा रहेगी कि मासिक धर्म महिलाओं से जुड़ा एक स्वास्थ्य मुद्दा मात्र है, तब तक समस्या का वास्तविक समाधान होना मुश्किल है। समझने की जरूरत है कि यह मुद्दा मानव समाज से जुड़ा है जिसका सीधा संबंध देश के मानव संसाधन से जुड़ा है। स्वस्थ और विकसित समाज का रास्ता स्वस्थ और शिक्षित महिलाओं से होकर ही गुजरता है।

■ मुकुल श्रीवास्तव

स्वच्छता सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों में से एक बड़ा मुद्दा है, खासकर विकासशील देशों के संदर्भ में। लेकिन विशेषकर महिलाओं के स्वास्थ्य और स्वच्छता के संबंध में मासिक धर्म पर बात करना भारत में अब भी ऐसे विषयों की श्रेणी में आता है जिसका जिक्र वर्जित है। स्वतंत्रता दिवस पर दिए गए अपने पहले भाषण में भी प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं की स्वच्छता के मुद्दे की तरफ देश का ध्यान खींचा। भारत में जहां पहले से ही इतनी स्वास्थ्य समस्याएं हैं, वहां देश की आधी आबादी किस गंभीर समस्या से जूझ रही है इसका सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है। महिलाओं का मासिक धर्म एक सहज वैज्ञानिक और शारीरिक क्रिया है। इस मुद्दे पर हाल ही में एक सेनेटरी नैपकिन निर्माता कंपनी और मार्केट रिसर्च आईपीएसओएस के सर्वे के मुताबिक मासिक धर्म को लेकर गांवों में ही नहीं बल्कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता की महिलाओं में भी कई तरह की भ्रांतियां हैं।

सर्वे में भाग लेने वाली महिलाओं ने माना कि मासिक धर्म के दिनों में वे अचार

का जार नहीं छूतीं, मंदिरों में नहीं जातीं इत्यादि। सेक्स शिक्षा के अभाव और मासिक धर्म जैसे संवेदनशील विषयों पर बात न करने जैसी परंपरा किशोरियों को एक ऐसे दुष्चक्र में फंसा देती है जिससे निकलने के लिए वे जीवन भर छटपटाती रहती हैं। यह एक ऐसा विषय है जिस पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है।

सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों में प्रजनन स्वास्थ्य का यह सवाल प्रत्यक्ष रूप से सुरक्षित मातृत्व के अधिकार से भी जुड़ता है। जब प्रजनन स्वास्थ्य की बात होगी तो मासिक धर्म की बात अवश्यंभावी हो जाएगी। एसी नील्सन की रिपोर्ट ''सेनेटरी प्रोटेक्शनरूएवरी विमेंस हेल्थ राइट' के अनुसार मासिक धर्म के समय स्वच्छ सेनेटरी पैड के अभाव में देश की सत्तर प्रतिशत महिलाएं प्रजनन प्रणाली संक्रमण का शिकार होती हैं जो कैंसर होने के खतरे को बढ़ाता है। पर्याप्त साफ– सफाई और स्कूल में शौचालयों के अभाव में देश की तेइस प्रतिशत किशोरियां स्कूल जाना

सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रमों जैसे पल्स पोलियो, परिवार नियोजन, चेचक पर जितना जोर दिया गया है, उतना जोर मासिक धर्म, प्रजनन अंगों के स्वास्थ्य आदि पर नहीं दिया जा रहा है। पल्स पोलियो, परिवार नियोजन आदि के लिए अनेक जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए और दवाओं पर भी पर्याप्त मात्रा में धन खर्च किया गया, पर मासिक धर्म से जुड़ा स्वास्थ्य का मुद्दा देश में महिलाओं की तरह हाशिये पर ही पड़ा रहा।

छोड़ देती हैं। भारत में सांस्कृतिक–धार्मिक वर्जनाओं के कारण मासिक धर्म को प्रदूषित कर्म की श्रेणी में माना जाता है। यह वर्जनाएं भारत में क्षेत्रीय विविधता के बावजूद सभी संस्कृतियों में समान रूप से मौजूद हैं। मासिक धर्म के दिनों में महिलाओं और किशोरियों को घर के सामान्य काम से दूर कर दिया जाता है जिनमें खाना बनाने से लेकर से पूजापाठ जैसे काम शामिल हैं।

वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सोच के अभाव में यह परंपरा अब भी शहरी और ग्रामीण इलाकों में जारी है। किशोरियां भारत की आबादी का पांचवां हिस्सा हैं, पर उनकी स्वास्थ्य जरूरतों के मुताबिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों का कोई ढांचा हमारे सामने नहीं है। छोटे शहरों और कस्बों के स्कूलों में महिला शिक्षकों की कमी और ग्रामीण भारत में सहशिक्षा के लिए परिपक्व वातावरण का न होना समस्या को और भी जटिल बना देता है। क्षेत्रीय भाषाओं में प्रजनन अंगों के बारे में जानकारी देना शिक्षकों के लिए अब भी एक चुनौती है।

पाठ्यक्रम में शामिल ऐसे विषयों पर बात करने से खुद शिक्षक भी हिचकते हैं और छात्र–छात्राओं को ऐसे विषय खुद ही पढ़ कर समझने होते हैं। सेक्स शिक्षा की जरूरत पर अब भी देश में कोई सर्वस्वीकार्यता नहीं बन पाई है। जब भी इस मुद्दे पर एक सर्वस्वीकार्यता की बात शुरू होती है तो 'हम अभी इसके लिए तैयार नहीं', 'हमारी संस्कृति को इसकी जरूरत नहीं है' जैसे कुतर्क ऐसे प्रयासों को नाकाम कर देते हैं।

हिंदुस्तान लेटेक्स फैमिली प्लानिंग प्रमोशन ट्रस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में सेनेटरी पैड का प्रयोग कुल महिला जनसंख्या का मात्र दस से ग्यारह प्रतिशत होता है, जो यूरोप और अमेरिका के 73 से 92 प्रतिशत के मुकाबले नगण्य है। आंकड़े खुद ही अपनी कहानी कह रहे हैं कि मासिक धर्म जैसे संवेदनशील मुद्दे पर देश 18वीं शताब्दी की मानसिकता में जी रहा है। शहरों में विज्ञापन और जागरूकता के कारण यह आंकड़ा पचीस प्रतिशत के करीब है, पर ग्रामीण भारत में सेनेटरी पैड और मासिक धर्म, स्वच्छता और स्वास्थ्य जैसे मुद्दे एकदम गायब हैं। सेनेटरी पैड के कम इस्तेमाल के कारणों में जागरूकता का अभाव, उपलब्धता और आर्थिक सामर्थ्य का न होना जैसे घटक शामिल हैं।

सरकार ने 2010 में मासिक धर्म स्वच्छता योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत शुरू की थी। इसमें सस्ती दरों पर सेनेटरी पैड देने का कार्यक्रम शुरू किया गया, पर सामाजिक वर्जनाओं के कारण इस प्रयास को अपेक्षित सफलता नहीं मिल रही है। सेनेटरी पैड तक पहुंच होना ही एक चुनौती नहीं है, प्रयोग किए गए सेनेटरी पैड का क्या किया जाए यह भी एक गंभीर प्रश्न है। मेरीलैंड विविद्यालय के डॉ. विवियन होफमन ने अपने एक शोध में पाया कि बिहार की साठ प्रतिशत महिलाएं प्रयोग किए गए सेनेटरी पैड या कपड़ों को खुले में फेंक देती हैं। प्रजनन अंग संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं में सेनेटरी पैड के अलावा साफ पानी और निजता (प्राइवेसी) की कमी भी समस्या एक अन्य आयाम है। मेडिकल प्रोफेशनल भी इस मुद्दे को उतनी गंभीरता से नहीं लेते जितना कि अपेक्षित है। मेडिकल स्नातक स्तर इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर एक भी अध्याय पाठ्यपुस्तकों में शामिल नहीं है।

सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रमों जैसे पल्स पोलियो, परिवार नियोजन, चेचक पर जितना जोर दिया गया है, उतना जोर मासिक धर्म, प्रजनन अंगों के स्वास्थ्य आदि पर नहीं दिया जा रहा है। पल्स पोलियो, परिवार नियोजन आदि के लिए अनेक जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए और दवाओं पर भी पर्याप्त मात्रा में धन खर्च किया गया, पर मासिक धर्म से जुड़ा स्वास्थ्य का मुद्दा देश में महिलाओं की तरह हाशिये पर ही पड़ा रहा। इस दिशा में मेडिकल और पैरामेडिकल हेल्थ प्रोफेशनल को संयुक्त रूप से ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। महज सेनेटरी पैड बांट भर देने से जागरूकता आने की उम्मीद करना बेमानी है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सरकार ने प्रत्येक गांव में एक महिला सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) की नियुक्ति का प्रावधान किया है। ये स्वास्थ्य कार्यकर्ता समुदायों के बीच स्वास्थ्य सक्रियता पहल करने में सक्रिय हैं।

जरूरी है कि उन्हें मासिक धर्म स्वास्थ्य जैसे मुद्दे से जोड़ा जाए और आशा कार्यकर्ता गांव–गांव जाकर लोगों को जागरूक करें और महिलाओं की इस मुद्दे के प्रति हिचक तोड़ने का प्रयास करें ताकि इस समस्या से लोग रूबरू हो सकें और एक बड़े स्तर पर संवाद शुरू हो सके और रूढ़िगत वर्जनाओं पर प्रहार हो। जब तक समाज में यह धारणा रहेगी कि मासिक धर्म महिलाओं से जुड़ा एक स्वास्थ्य मुद्दा मात्र है, तब तक समस्या का वास्तविक समाधान होना मुश्किल है। समझने की जरूरत है कि यह मुद्दा मानव समाज से जुड़ा है जिसका सीधा संबंध देश के मानव संसाधन से जुड़ा है। स्वस्थ और विकसित समाज का रास्ता स्वस्थ और शिक्षित महिलाओं से होकर ही गुजरता है। ❑

संघ, विहिप और सुब्रह्मण्यम् स्वामी के संघर्ष ने रोका रामसेतु विध्वंस

विश्व धरोहर घोषित हो रामसेतु

सत्यम मूर्ति से भारत सरकार ने राय मांगी थी तब उन्होंने स्पष्ट राय दी थी कि संपूर्ण विश्व पहले ही प्रकृति से खिलवाड करने कि गंभीर परिणाम भुगत रहा है। उन्होंने अपनी लिखित राय में मनमोहन सरकार को स्पष्ट कहा था कि रामसेतु वाले समुद्री भाग में कई सक्रिय ज्वालामुखी व गतिमान व विशाल प्रवाल भित्तियां है जिसके कारण रामसेतु को तोड़ने से कई भयंकर परिणाम सामने आ सकते है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा था कि रामसेतु को तोड़ने से पर्यावरण, समुद्री जल जीवन और इसमें रहने वाले जल जन्तुओं के साथ तटवर्ती इलाको मैं जन जीवन को दूरगामी दुष्परिणाम झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए। अंततः रामसेतु बच तो गया है किन्तु अब इसे वैश्विक धरोहर यानि नेशनल हेरिटेज घोषित करने का भी अभियान प्रारम्भ हो यही समीचीन मांग है।

■ **प्रवीण गुगनानी**

रामसेतु विषय में केंद्र की नवागंतुक नरेन्द्र मोदी सरकार के मंत्री नितिन गडकरी ने पिछले दिनों देश भर के हिन्दुओं के विश्वास को फलीभूत करते हुए कहा कि रामसेतु नहीं तोड़ा जाएगा। सेतु समुद्रम परियोजना को पूर्ण करने के लिए वैकल्पिक मार्ग खोजें जायेंगे। यह निर्णय देकर मोदी सरकार ने संघ परिवार, विहिप के बड़े ही विस्तृत जन संघर्ष और चिन्तक सुब्रह्मण्यम् स्वामी के न्यायलीन संघर्ष को सार्थक कर दिया है। आज इस राष्ट्र में सांस्कृतिक मान बिन्दुओं के समक्ष जो भी प्रश्न या अस्तित्व की चुनौतियां आ रही है, लगता है उनके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही एक मात्र हितकारी संस्था है जो उनके सम्बन्ध में चिंतन, संघर्ष करेगी। इस क्रम में एक नाम सुब्रह्मण्यम् स्वामी का भी आता है जो कि न्यायालयों के माध्यम से इस प्रकार के सांस्कृतिक विषयों पर संघर्ष शलाका थामें हुए हैं।

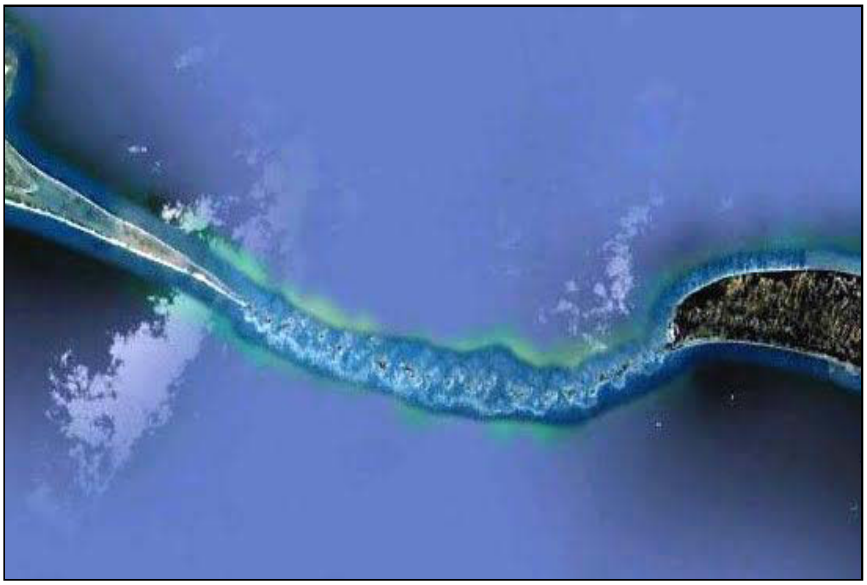

वस्तुतः यूपीए सरकार सेतू समुद्रम परियोजना को अमेरिकी दबाव में अति शीघ्र पूर्ण करने के चक्कर में रामसेतू विध्वंस के लिए मशीनें भी भेज चुकी थी। यदि आरएसएस और विहिप परिवार के मैदानी संघर्ष और वरिष्ठ चिन्तक विचारक सुब्रह्मण्यम् स्वामी सरकार के न्यायलीन संघर्ष ने देशव्यापी आंदोलन चला कर पूरे देश को इस विषय पर जागृत और चैतन्य नहीं किया होता तों रामसेतु आज केवल किताबों में उल्लेखित एक नाम भर होता।

निश्चित तौर पर यह निर्णय बहुप्रतीक्षित है, किन्तु अब यह भी आवश्यक है कि रामसेतु को वैश्विक धरोहर घोषित करने हेतु केंद्र से एक विस्तृत प्रस्ताव यूएनओ को भेजा जाए। यदि रामसेतु नेशनल हेरिटेज घोषित नहीं हुआ तो कभी भी इस प्रकार का विरोधी वातावरण पुनः बन सकता है। एक वैश्विक धरोहर को घोषित होने के लिए जप मापदंड होने चाहिए उन सभी पर रामसेतु पूर्ण खरा उतरता है। वस्तुतः प्रगतिशीलता और विकास के नाम पर जैसा वातावरण भारत में पिछले दशक में बना था वैसा विश्व भर कहीं और कदाचित ही देखनें को मिलेगा। संस्कृति, धर्म, पुरातत्व, नैतिकता सभी कुछ जैसे विकास के नाम पर लूटा देने को तैयार हो गया था हमारा तंत्र। इस ढर्रे का ज्वलंत उदाहरण बना था हमारा रामसेतु। केंद्र में बैठी सोनिया के नेतृत्व वाली मौन सरकार ने तो रामसेतु विध्वंस के लिए

बाकायदा न्यायालय में यह शर्मनाक हलफनामा प्रस्तुत किया था कि भारत के जन–जन और कण–कण की आस्था के केंद्र श्रीराम केवल एक कथा के पात्र मात्र हैं!!

रामसेतु के विषय में संघ परिवार के नेतृत्व में विश्व हिन्दू परिषद् के चरम संघर्ष के परिणाम स्वरूप पिछली यूपीए सरकार दबाव में आकर पीछे हट गई थी। इस विषय में एक कदम पीछे हटकर चार कदम आगे आनें की शैली में कांग्रेस सरकार ने पुनः इस मामले में हावी होकर रामसेतु विध्वंस के निर्णय पर सख्ती बरतनी चाहिए थी, उसने इस मसले पर गठित आरके पचौरी समिति की रपट को खारिज करते हुए कहा है कि वह इस परियोजना का काम आगे बढ़ाना चाहती है। मनमोहन सरकार ने तर्क दिया था कि इस परियोजना पर आठ सौ करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं और ऐसे में काम बंद करने का कोई मतलब नहीं। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में सरकार ने अविवेक पूर्ण और आधारहीन बात करते आश्चर्यजनक रूप से रामायण के प्रमुख घटनाक्रम को विस्मृत करते हुए यह भी कहा था कि रामसेतु हिंदू धर्म का आवश्यक अंग नहीं है।

आज भले ही रामसेतु नहीं टूटनें हेतु देशवासी आश्वस्त हो गए हों किन्तु देशवासी रामसेतु के मुद्दे पर वो हलफनामा पीढ़ियों तक नहीं भूलेंगे जो एक सनकी, बूढ़े और नाम न लिए जाने योग्य मुख्यमंत्री ने न्यायलय मैं प्रस्तुत किया था। अपने पारिवारिक आर्थिक घोटालों को दबाने के प्रयास में इस मुख्यमंत्री ने मनमोहन सरकार को प्रसन्न करने के लिए न्यायलय में दाखिल हलफनामें में भगवान राम के अस्तित्व होने को ही नकार दिया था। रामसेतु के ही ज्वलन्त मुद्दे पर प्रस्तुत इस शर्मनाक हलफनामे में इस राष्ट्र के जन–जन और कण–कण के आराध्य और नायक को कपोल कल्पना और उपन्यास का एक पात्र भर सिद्ध करने की कुत्सित किन्तु असफल कोशिश इसी मनमोहन सरकार के सहारे एक कृतघ्न मुख्यमंत्री ने की थी। हालाँकि बाद में जब हिंदुओं ने तीव्र और सशक्त विरोध किया तब इस घोटालेबाज मुख्यमंत्री ने इस तथाकथित हलफनामें को वापिस ले लिया था।

सेतू समुद्रम योजना के विषय में जानकारी परक तथ्य यह भी है कि यह योजना 1860 से यानी लगभग 150 वर्षों से लंबित व विवादित रही है। इस योजना को लेकर अब तक 13 समितियां गठित हो चुकी है। इस देश के शोषक और आक्रमणकारी अंग्रेजों ने भी इस योजना को सदा क्रियान्वयन से दूर ही रखा किन्तु हाय री हमारी संवेदनहीन यूपीए सरकार कि उसकी बुद्धि इस मामले में सदा से न जाने क्यों उलटी ही चलती रही!!

इतिहास साक्षी है कि वर्ष 1460 तक भारत श्रीलंका के बीच आवागमन श्रीराम और इस देश के इंजीनियरों के पुरोधा नल–नील के द्वारा डिजाइन किये गए इसी सेतू मार्ग से होता रहा। बाद के वर्षों में यह सेतू भूगर्भीय परिवर्तनों से समुद्र कि तलहटी में धंसता चला गया किन्तु इसकी विशाल और सुद्रढ़ सरंचना ने अपना आकार और अस्तित्व नहीं खोया व इसके कारण भारत और श्रीलंका के तटवर्ती भागों का प्राकृतिक आपदाओं से बचाव होता रहा।

वस्तुतः यूपीए सरकार सेतू समुद्रम परियोजना को अमेरिकी दबाव में अति शीघ्र पूर्ण करने के चक्कर में रामसेतू विध्वंस के लिए मशीनें भी भेज चुकी थी। यदि आरएसएस और विहिप परिवार के मैदानी संघर्ष और वरिष्ठ चिन्तक विचारक सुब्रमण्यम सरकार के न्यायलीन संघर्ष ने देशव्यापी आंदोलन चला कर पूरे देश को इस विषय पर जागृत और चैतन्य नहीं किया होता तो रामसेतु आज केवल किताबों में उल्लेखित एक नाम भर होता। उस समय उतने बड़े विशाल जनांदोलन के बाद भी केंद्र सरकार मानी नहीं और हठधर्मितापूर्वक इस कुत्सित योजना में लगी रही थी। सेतू समुद्रम परियोजना को पूर्ण करने के लिए अमेरिकी दबाव मैं 300 मीटर चौड़ा और 12 मीटर गहरा मार्ग बनाने के लिए उसने विशाल स्वचालित और तेज गति कि मशीने रामेश्वरम के समीप धनुषकोटि पहुंचा दी थी। फलस्वरूप इस विध्वंसक कार्य को रोकने के लिए कई याचिकाएं न्यायलय मैं दायर की गई किन्तु अधिकांश याचिकाएं आश्चर्यजनक रूप से खारिज हो गई थी, सिवा एक सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका के!!! 27 मार्च 2012 को सुब्रह्मण्यम् स्वामी की इस याचिका पर विचार करते समय ही केंद्र सरकार से न्यायलय ने स्पष्ट कहा की वह रामसेतु को राष्ट्रीय धरोहर व स्मारक घोषित करने के संबंध में केंद्र सरकार दो सप्ताह में जवाब देवें। इस सम्बन्ध में रोचक तथ्य है की श्रीराम को कथा का पात्र मात्र मानने वाली इस सरकार ने इस सेतू को मानव निर्मित सरंचना माना व यह भी माना की इसकी लम्बाई 30 किलोमीटर है। स्मरण रहे कि धनुषकोटि और श्रीलंका के मध्य दूरी भी 30 किलोमीटर ही है। याचिका के संबंध में स्वामी ने देश के सेवानिवर्त्त न्यायाधीश के. जी. बालकृष्णन पर सोनिया गांधी से प्रभावित होने का आरोप लगाते हुए देश को बताया था

कि जब उन्होंने याचिका दायर कि तब न्यायाधीश के.जी. बालकृष्णन एक सप्ताह कि छुट्टी पर दक्षिण अफ्रीका चले गए थे। उनके लौटते तक सुनवाई टल जाती तो रामसेतु के विध्वंस का कार्य प्रारंभ हो जाता तब सुब्रमण्यम स्वामी भागे–भागे कार्यवाहक न्यायाधीश के पास पहुंचे और उन्हें पूरा विषय निवेदन किया तब कही जाकर रामसेतु को तोड़ने पहुंची मशीने थम पाई थी।

रामसेतु के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि वर्ष 2004 में आई सुनामी का सामना यदि इस सेतू कि विशाल और सुद्रढ़ सरंचना से नहीं होता तो तमिलनाडु और केरल को भयंकर त्रासदी और नुकसान झेलना पड़ता। उस समय सुनामी कि लहरें इसकी सरंचना से टकराकर कई भागो मैं छिन्न भिन्न होकर भारत और श्रीलंका कि तरफ विभाजित हो गई जिससे न सिर्फ भारत के तटवर्ती राज्य बल्कि श्रीलंका भी सुनामी से बाल बाल बचा था।

रामसेतु के सम्बन्ध में प्रसिद्ध वैज्ञानिक व पर्यावरणविद व कनाडा के ओट्टावा विश्वविद्यालय में अध्यापन करने वाले सत्यम मूर्ति से भारत सरकार ने राय मांगी थी तब उन्होंने स्पष्ट राय दी थी कि संपूर्ण विश्व पहले ही प्रकृति से खिलवाड करने कि गंभीर परिणाम भुगत रहा है। उन्होंने अपनी लिखित राय में मनमोहन सरकार को स्पष्ट कहा था कि रामसेतु वाले समुद्री भाग में कई सक्रिय ज्वालामुखी व गतिमान व विशाल प्रवाल भित्तियां है जिसके कारण रामसेतु को तोड़ने से कई भयंकर परिणाम सामने आ सकते है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा था कि रामसेतु को तोड़ने से पर्यावरण, समुद्री जल जीवन और इसमें रहने वाले जल जन्तुओं के साथ तटवर्ती इलाको मैं जन जीवन को दूरगामी दुष्परिणाम झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए। अंततः रामसेतु बच तो गया है किन्तु अब इसे वैश्विक धरोहर यानि नेशनल हेरिटेज घोषित करने का भी अभियान प्रारम्भ हो यही समीचीन मांग है। ❑

:: सदस्यता संबंधी सूचना ::

मान्यवर,,

स्वदेशी पत्रिका आज देश में चल रहे स्वदेशी आंदोलनों का स्थापित प्रतीक बन चुकी है। पिछले कई वर्षों से स्वदेशी पत्रिका ने असंगत एवं एकतरफा वैश्वीकरण, जनविरोधी आर्थिक उदारीकरण के विरोध एवं वैकल्पिक और रचनात्मक स्वदेशी आंदोलन के पक्ष में एक सक्रिय प्रहरी के नाते हमेशा आपको जागरूक बनाया है एवं आपसे संवाद स्थापित किया है। विगत कालखंड में इन सभी मुद्दों पर हमें आप जैसे सजग पाठकों का अपेक्षित सहयोग भी मिलता रहा है और भविष्य में भी मिलेगा ऐसा, विश्वास है।

आपसे आग्रह है कि स्वदेशी पत्रिका की आपकी सदस्यता अवधि यदि समाप्त हो गई हो तो कृपया पिछले समय से आगामी वर्ष तक की राशि धनादेश (मनीआर्डर), चेक एवं मांग पत्र (डिमांड ड्राफ्ट) के माध्यम से शीध्र भेजने की कृपा करें। पत्रिका के लिफाफे के उपर चिपकाए गए पते की प्रथम पंक्ति में सदस्यता अवधि अंकित है। आप अपनी सदस्यता राशि ''स्वदेशी पत्रिका'' के नाम पत्रिका के कार्यालय के पते पर भेज सकते हैं। सदस्यता अद्यतन न हो पाने की स्थिति में वित्तीय कारणों से पत्रिका आगे जारी रखना कठिन होगा।

सदस्यता शुल्क निम्न प्रकार है :–

स्वदेशी पत्रिका	वार्षिक	आजीवन
हिन्दी	150 रुपए	1500/– रुपए
अंग्रेजी	150 रुपए	1500/– रुपए

हमें आपका सहयोग स्वदेशी आंदोलन को राष्ट्रव्यापी एवं जनोन्मुखी बनाने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। कृपया स्वदेशी पत्रिका स्वयं भी पढ़ें एवं अन्य को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। पत्रिका के संबंध में अपना निष्पक्ष विचार हमें अवश्य भेजें।

आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. 602510110002740 IFSC : BKID 0006025 (Ramakrishnapuram) में जमा करवा सकते हैं और उसकी रसीद और अपना पता आप कार्यालय में अवश्य भेजे।

स्वदेशी पत्रिका कार्यालय, 'धर्मक्षेत्र' शिव शक्ति मंदिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली–22

कब होगा गंगा मैया का उपचार

गंगा के लिए काम करने वाली सरकार को शोषणकारी सभ्यता में भी सम्मान मिल जाता है। अतः शोषणकारी सभ्यता नहीं बननी चाहिए। हम पोषण करके दुनिया के गुरु बने थे। शोषण करने वालों को बुलाया तो फिर भगाया भी, लेकिन उनकी छूत की बीमारी खत्म नहीं हुई। वह तेजी से फैल रही है। इसे रोक कर अपनी मूल पोषणकारी संस्कृति को अपनाना और बढ़ाना है। इसकी शुरुआत हम अपनी माँ गंगा के साथ सदाचार से करें। हमारा भ्रष्टाचार केवल सदाचार से ही नष्ट होगा। यह सदाचार गंगा मैया के उद्धार से आरंभ करना है। सदाचार से ही हम विश्वगुरु बन सकते हैं। आइए! प्रयास शुरू करें।

■ राजेन्द्र सिंह

माँ गंगे बीमार हैं। इनकी संपूर्ण जांच के बाद निदान और निदान के बाद इलाज किया जाना चाहिए। गंगा मैया की बीमारी समडो बिना इसमें बैराज बनाकर बड़े जहाज चलाना ठीक नहीं है। मां की शारीरिक शक्ति और गंगत्व की आत्मिक शक्ति असीम थी। उस पर मानवीय लालची शक्ति अब भारी पड़ रही है। लालची विकास हमारा और हमारी मां गंगा का विरोधी है। विकास जरूरी है। आरोग्य शास्त्र में 'पथ्य–अपथ्य' का प्रावधान है। हम गंगा को मैया कहते हैं। इसलिए मां की सेहत के लिए 'पथ्य–अपथ्य' का ध्यान रखें। हम उसके बेटे हैं। अतः इलाज कराने वाले बड़े भाई से मां को अपथ्य पर ले जाने से रोकने का नैसर्गिक हक रखते हैं।

बजट में गंगा मैया के संबंध में दो महत्वपूर्ण घोषणाएं हुईं। एक, गंगा जल मार्ग और दूसरी नमामी गंगे। इन दोनों के विषय में गंगा संसद का मानना है कि जल मार्ग बिना बैराज के ही लाभदायी और शुभ होगा। गंगा में और बैराज बनाना उसकी अविरलता को नष्ट करना है। फरक्का बैराज के अनुभव से स्पष्ट हो जाता है कि बैराज गंगा के जीवन और उसकी अविरलता के विरुद्ध हैं। गंगा से जुड़े मछुआरों की आजीविका खत्म हो रही है। गंगा में हिल्सा मछली नष्ट हो गई है। आप जानते हैं कि मछलियां साफ पानी में रहना पसंद करती हैं। यह मछली समुद्र के खारे पानी से नदियों में सैकड़ों–हजारों किलोमीटर अंदर आकर अंडे देती थी। ये अंडे पानी के साथ बहते हुए डेल्टा में जा कर मछली बनते थे। पर गंगा में प्रदूषण के कारण अब हिल्सा मछली समाप्त हो गई है।

जल प्रवाह में जब भी कोई कठोर संरचना खड़ी होती है, उस पर जल प्रवाह का दबाव बढ़ता है। इस कारण कटाव होता है और नीचे की तरफ मिट्टी का जमाव हो जाता है। यह प्रक्रिया गंगा में इलाहाबाद के नीचे से शुरू होती है। घाटों के कारण बनारस में रेत का जमाव हो गया है। इस प्रकार के कार्य गंगा मैया को समझे बिना करना अच्छा नहीं है। गंगा मैया कमाई नहीं माई है। निदान के बिना मैया की चिकित्सा करना खतरनाक है। गंगा को समझे बिना बैराज का काम शुरू न किया जाए। नमामी गंगा के लिए केवल एसडीपी और एटीपी पर राशि खर्च न की जाए। गंगा पर निर्भर लोगों को समझा कर रिवर और सीवर सेप्रेशन यानी गंगा मैया और गंदगी को अलग–अलग रखा जाए। इस कार्य के लिए अलग तरह का ढांचा बनाना आवश्यक है।

गंगा संसद, कुंभ 2010 हरिद्वार और गंगा संसद, कुंभ 2013 प्रयाग में मंथन के बाद सर्वसम्मत निर्णय लिया गया था कि गंगा को विषैला होने से बचाया जाए। इस पर नए बांध और बैराज न बनें। गोमुख से चला गंगत्व गंगा सागर तक जाए। बांध–बैराज बनने पर गंगा मैया नहीं रहती वह झील–तालाब में बदल जाती है। गंगा को मैया बनाए रखने के लिए ही पंडित मदनमोहन मालवीय 1916 में हरिद्वार में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े और जीते थे। वह भीमगोड़ा पर गंगा को अविरल बनाने में सफल भी हुए।

सात आईआईटी कन्सोर्टियम ने गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट प्लान तैयार किया है। अंतरमंत्रालय समूह की रिपोर्ट

मां को असली आजादी देनी है। बंधनों में बंधी गंगा मैया को मुक्त करना है। अच्छे बेटे–बेटियां मां को बंधनों में बांधते नहीं। मां को बंधनों से मुक्ति दिलाते हैं। ध्यान रहे, गंगा मैया केवल इंतजार करती है, माफ नहीं करती। संप्रग सरकार के प्रथम काल में गंगा मैया की आजादी के लिए तीन बांधों को रद कर दिया गया था। यह कदम मैया की मुक्ति की दिशा में उठाया गया था। उसे दूसरी बार राज करने का मौका मिला।

है। वन्य जीव संस्थान, देहरादून की रपट है। इन तमाम रपटों को जांच रिपोर्ट मान सकते हैं। इन पर चिकित्सकों का बड़ा समूह बैठकर निर्णय करे। यह निर्णय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण को ही करना है। इसकी बैठक पिछले दो वर्षों से नहीं हुई है। अब नई सरकार भी दो माह पूरे कर चुकी है। मां गंगा जब बुलाती है तो सब–कुछ भूलकर और छोड़कर केवल मां के इलाज का प्रबंधन करना होता है। गंगा माई है, कमाई नहीं। कमाई छोड़कर हम सभी पहले अपनी गंगा मां को ही देखते हैं। यदि हमने किसी को मां कहा है तो फिर उसके बेटों जैसा व्यवहार भी तो हमें करना ही चाहिए। यही भारतीय संस्कार है।

हम पड़ोसी का दिल जीतने से पहले अपनी मां का दिल जीतते हैं। मां को विश्वास दिलाते हैं। उनकी चिकित्सा, सेवा करते हैं। केवल डॉक्टर के भरोसे नहीं छोड़ते। केवल संपदा का हकदार बनने के लिए हम किसी को मां नहीं कहते हैं। गंगा ने अपनी संपदा अपने बेटों को सौंप रखी है। बेटों का कर्तव्य है कि वह उसे मैला न होने दें। मां के केशों को जल देकर धोने, सींचने का काम करेंगे। उसके अंदर के खरपतवार साफ करेंगे या उसका जल गंदा करने की व्यवस्था करेंगे? यह निर्णय तो बेटों को ही लेना है।

मां को असली आजादी देनी है। बंधनों में बंधी गंगा मैया को मुक्त करना है।

अच्छे बेटे–बेटियां मां को बंधनों में बांधते नहीं। मां को बंधनों से मुक्ति दिलाते हैं। ध्यान रहे, गंगा मैया केवल इंतजार करती है, माफ नहीं करती। संप्रग सरकार के प्रथम काल में गंगा मैया की आजादी के लिए तीन बांधों को रद कर दिया गया था। यह कदम मैया की मुक्ति की दिशा में उठाया गया था। उसे दूसरी बार राज करने का मौका मिला।

राजग सरकार ने गंगा को बांधा तो गंगा मां दूसरा मौका नहीं देगी। मां के पास ही देश के अधिक वोट हैं। ये वोट किसी को भी जीता–हरा सकते हैं। इन्हीं से राजा बने बेटे को गंगा मैया के उद्धार पर विचार करना है। दूसरे मौके पर गंगा मैया की सेवा और चिकित्सा से पहले बंधन मुक्ति आवश्यक है।

सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश गंगा के किनारे ही स्थित हैं। देश का 43 प्रतिशत भूभाग इसके बेसिन में हैं। 11 राज्य इसमें आते हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल तो इसकी मुख्यधारा में हैं। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ बहुतायत व आंशिक रूप से गंगा बेसिन में हैं। इन सभी की सभ्यता और संस्कृति तो गंगा ही है। गंगा संस्कृति ही सम्मान पाने वाली है। गंगा के लिए काम करने वाली सरकार को शोषणकारी सभ्यता में भी सम्मान मिल जाता है। अतः शोषणकारी सभ्यता नहीं बननी चाहिए। हम पोषण करके दुनिया के गुरु बने थे। शोषण करने वालों को बुलाया तो फिर भगाया भी, लेकिन उनकी छूत की बीमारी खत्म नहीं हुई। वह तेजी से फैल रही है। इसे रोक कर अपनी मूल पोषणकारी संस्कृति को अपनाना और बढ़ाना है। इसकी शुरुआत हम अपनी माँ गंगा के साथ सदाचार से करें। हमारा भ्रष्टाचार केवल सदाचार से ही नष्ट होगा। यह सदाचार गंगा मैया के उद्धार से आरंभ करना है। सदाचार से ही हम विश्वगुरु बन सकते हैं। आइए! प्रयास शुरू करें। ❑

राजग सरकार ने गंगा को बांधा तो गंगा मां दूसरा मौका नहीं देगी। मां के पास ही देश के अधिक वोट हैं। ये वोट किसी को भी जीता–हरा सकते हैं। इन्हीं से राजा बने बेटे को गंगा मैया के उद्धार पर विचार करना है। दूसरे मौके पर गंगा मैया की सेवा और चिकित्सा से पहले बंधन मुक्ति आवश्यक है।

एजुकेटिड बनाम क्वालीफाइड

एक सवाल ने फिर दिमाग खुजलाया – ''यदि शिक्षा प्रणाली सिर्फ डाल ही रही है, तो आज हमारे भीतर से जो निकलता दिखाई दे रहा है; भ्रष्ट आचार! ... यह किसकी देन है? इसे निकालने का काम कौन कर रहा है?'' प्रबंधन! भाईसाहब प्रबंधन !! विद्यालय का प्रबंधन निकालता है मां–बाप की जेब से डोनेशन। विद्यार्थी नहीं, वह विद्यार्थी के मां–बाप को करता है शिक्षित। निकालो जो कुछ है जेब के भीतर। पढ़ो! खूब पढ़ो!! बच्चे का होमवर्क कराओ या फिर ट्युशन लगाओ। लेकिन निकल तो मां–बाप की जेब से ही रहा है। ....तो क्या मां–बाप की जेब में पहले से भ्रष्ट आचार था या जिस टेलर ने जेब सिली, उसने डाल दिया था अंचार समझ कर।

■ अरुण तिवारी

पांच सितंबर हमारा शिक्षक दिवस और आठ सितंबर, साक्षरता दिवस। क्या आपको नहीं लगता कि इन दोनो दिवसों के बीच कहीं फंस गई है अपनी प्यारी शिक्षाजी? मुझे लगता है। एजुकेशन शब्द 'एजुकेयरे' नामक जिस मूल शब्द से निकला है, उसका मतलब होता है– विकसित करना,... उभार देना। हर शिक्षार्थी के भीतर कोई न कोई प्रतिभा, कौशल या गुण जरूर होता है। जो कुछ भी शिक्षार्थी के भीतर है, उसे उभार कर विकसित कर देना....भीतर से बाहर ले आना ही उसे शिक्षित करना है। यह बात मैं कभी नहीं भूलता।

खासकर, जब मैं कालेज और पाठशालाओं में जाता हूं। संवाद शैली में अपनी बात रखते–रखते मै विद्यार्थियों से अक्सर सवाल पूछता हूं या उन्हे सवाल पूछने को कहता हूं। जहां कहीं उन्हे मौन पाता हूं, वहां इसी परिभाषा को सामने रखकर कहता हूँ – ''यदि आपके भीतर से कुछ बाहर नहीं आ रहा... कोई जिज्ञासा पैदा नहीं हो रही,... कोई सवाल, कोई कौशल बाहर आने को बेताब नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि आप शिक्षित नहीं हो रहे।'' बावजूद इसके कि हर पाठशाला के बाहर एक से फैशन में लिखा मिलता है – ''शिक्षार्थ आइए : सेवार्थ जाइए।'' ''इन फॉर एजुकेशन : आउट फॉर नेशन।''

ऐसे में मेरा चिंतित होना स्वाभाविक है। सवाल पूछना लाजमी है कि भारत में स्कूल–कॉलेज बढ़ रहे हैं। शिक्षक बढ़ रहे हैं। शिक्षार्थी बढ़ रहे हैं। साक्षरता बढ़ रही है। बावजूद इसके हम शिक्षित क्यों नहीं हो रहे ? एक जवाब आया–''हम क्वालीफाई करने के लिए पढ़ रहे हैं। इसीलिए क्वालीफाइड हो रहे हैं; एजुकेटिड नहीं।''मेरी संतुष्टि नहीं हुई।

हम क्वालीफाई करते–करते भी तो एजुकेटिड हो सकते हैं। उन्होने कहा – ''क्वालीफाई करने से ही बसर है। एजुकेटिड होने से नौकरी नहीं मिलती। डिग्री चाहिए, डिग्री! ऐसे लाओ, चाहे पैसे से लाओ। आखिर यूथ के कैरियर का सवाल है। इसीलिए क्वालीफाइड होने का इतना प्रेशर है कि एजुकेटिड होने की न किसी को फुर्सत है और न बहुत जरूरत। दुनिया बदल चुकी है भाईसाहब! आप भी बदलिए। यू ऑलसो नीड टू बी वैल क्वालीफाइड!!''

मैं, 1984 का एजुकेटिड; कम्प्यूटर क्रांति से पहले का टीनेज; ''शिक्षे! तुम्हारा नाश हो, तुम नौकरी के हित बनी'' वाली कविता की घूंटी पीकर बड़ा हुआ। जब तक जवाब न आ जाये, भला कैसे संतुष्ट हो सकता था! एजुकेशन के मूल शब्द की परिभाषा का सिरा पकड़कर मैने सोच लिया कि मैं तो पूरी तरह एजुकेटिड होकर ही छोडूँगा। एक जवाब और मिला। उसने शिक्षा प्रणाली पर ही सवाल उठा दिया। ''भारत की वर्तमान शिक्षा प्रणाली में शिक्षित करना प्राथमिकता है ही नहीं;

कलमें बढ़ी हैं, कलमा पढ़ने वाले बढ़े हैं; कलाकार बढ़े हैं, लेकिन असल कलम और कला पीछे चली गई है। चैनल बढ़े हैं, लेकिन चैन छिन गया है। खबरों में स्यापा बढ़ गया है। इंजीनियर बढ़ गये है। इंजीनियरिंग कहीं खो रही है। डॉक्टर बढ़ गये हैं। डॉक्टरों को भगवान कहने वाले लुट रहे हैं। खातों में हेराफेरी पकड़ने वाले सी.ए. बढ़ गये हैं; साथ–साथ खातों की हेराफेरी भी; दलाली भी। वकील बढ़े हैं; वकालत की फीस फिक्स हुई है और साथ–साथ न्याय भी। समाजकार्य के डिग्रीधारी भी बढ़े हैं। लेकिन दुखद है कि सामाजिक कार्यकर्ता बनाने का काम बंद हो गया है। दुआ कीजिए! हम फिर से एजुकेटिड होना शुरु करें।

प्राथमिकता है – विद्यार्थी के भीतर ठूंसना; अंक, रेखा, रसायन, भौतिक, भूगोल, जीव और जाने क्या– क्या। ''

जवाब सही है या नहीं; इसकी तसल्ली करने के लिए मैने एक स्कूल की भरी सभा में बगैर किसी भूमिका के सवाल उछाला– ''बच्चो! बताओ कि हमारे गुरुजन हमारे दिमाग में क्या डाल रहे हैं?'' यह वी.वी.आई.पी. लोकसभा क्षेत्र कही जाने वाले अमेठी का धम्मौर स्थित हनुमत इंटर कॉलेज था। जो जवाब आया, उससे मैं हतप्रभ हो गया। ठीक वैसा ही हतप्रभ, जैसा राहुल गांधी पिछले चुनाव नतीजे से हुए होंगे। कक्षा छह का एक साधारण सा दिखने वाला बालक उठा। उसने मेरी ओर देखा। चीखकर जवाब दिया –''गोबर!'' सभा में सन्नाटा छा गया। सब भौंचक!! सभी की बोलती बंद!! हमारे गुरुजन विद्यार्थियों के दिमाग में गोबर डाल रहे हैं। इस जवाब के तत्काल आकलन मात्र से वहां उपस्थित गुरुजनों की गर्दनें झुक गई। जबकि उनकी गर्दनें गौरव से तन जानी चाहिए थी। उनका पढ़ाया बालक सचमुच शिक्षित हो रहा था। उसके भीतर का गुण बाहर जो आ रहा था।

मैने कई जगह यह सवाल पूछा। लेकिन ऐसा जवाब फिर कभी नहीं आया। इसीलिए एक सवाल ने फिर दिमाग खुजलाया – ''यदि शिक्षा प्रणाली सिर्फ डाल ही रही है, तो आज हमारे भीतर से जो निकलता दिखाई दे रहा है; भ्रष्ट आचार! ... यह किसकी देन है? इसे निकालने का काम कौन कर रहा है?'' प्रबंधन! भाईसाहब प्रबंधन !! विद्यालय का प्रबंधन निकालता है मां–बाप की जेब से डोनेशन। विद्यार्थी नहीं, वह विद्यार्थी के मां–बाप को करता है शिक्षित। निकालो जो कुछ है जेब के भीतर। पढ़ो! खूब पढ़ो!! बच्चे का होमवर्क कराओ या फिर ट्युशन लगाओ। लेकिन निकल तो मां–बाप की जेब से ही रहा है। ....तो क्या मां–बाप की जेब में पहले से भ्रष्ट आचार था या जिस टेलर ने जेब सिली, उसने डाल दिया था अंचार समझ कर।

खैर ! मान लिया कि प्रबंधन दोषी है। लेकिन कक्षायें तो शिक्षक के ही पास हैं न। प्रणाली कुछ भी हो, प्रबंधन कैसा

भी हो; शिक्षक चाहे तो विद्यार्थी को शिक्षित होने से कौन रोक सकता है? वही तो पूरी पीढी का निर्माता है। गुरु है। एक वर्तमान शंकराचार्य ने कहा –''गुरु गोरू हो गये हैं।'' मैं क्या जवाब देता ? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। मैने फिर पूछा। फिर टटोला। फिर जवाब आया –''आप बिल्कुल दुरुस्त हैं भाईजान ! लेकिन आजकल शिक्षक भर्ती हो कहां हो रहे है? नौकरी पाने के लिए जो होड़ लगी है। एक ही उम्मीदवार शिक्षक के लिए भी आवेदन कर रहा है, फौजी लेफ्टिनेंट के लिए भी और सिविलियन बनकर सिविल सर्विसेज के लिए भी। तसदीक करनी हो, तो मैं आपको यूपी की बीटीसी में बीटेक क्वालीफाइड दिखा सकता हूं; आईटी में इंजीनियरिंग करके नाक बहाते बच्चों को ककहरा पढ़ाते हुए। इसीलिए भाईजान, मैं कह रहा हूं। शिक्षक नहीं भर्ती हो रहे; नौकर भर्ती हो रहे हैं। नौकरी पाने से पहले चाहे कोई जो कुछ हो, नौकरी पाने के बाद जो जिस नौकरी में है, आज वह सिर्फ नौकर बनकर रह गया है या फिर साहब।''

मुझे मेरा जवाब मिल गया कि हम क्यों सिर्फ क्वालीफाई हो रहे हैं। एजुकेशन क्यों हमारी प्राथमिकता नहीं हैं। जब से नौकरियों के लिए खासकर प्रोफेशनल क्वालीफिकेशन जरूरी कर दी गई है, तब से प्रोफेशनल आगे रहे हैं, पैसन पीछे जा रहा है। शायद इसीलिए मेरे आगे जो दुनिया दिख रही है, उसमें पत्र बढ़े हैं, कारें बढ़ी हैं, कार वाले पत्रकार बढ़े हैं, लेकिन असल पत्रकार कम हो रहे हैं। कलमें बढ़ी हैं, कलमा पढ़ने वाले बढ़े हैं; कलाकार बढ़े हैं, लेकिन असल कलम और कला पीछे चली गई है। चैनल बढ़े हैं, लेकिन चैन छिन गया है। खबरों में स्यापा बढ़ गया है। इंजीनियर बढ़ गये है। इंजीनियरिंग कहीं खो रही है। डॉक्टर बढ़ गये हैं। डॉक्टरों को भगवान कहने वाले लुट रहे हैं। खातों में हेराफेरी पकड़ने वाले सी.ए. बढ़ गये हैं; साथ–साथ खातों की हेराफेरी भी; दलाली भी। वकील बढ़े हैं; वकालत की फीस फिक्स हुई है और साथ–साथ न्याय भी। समाजकार्य के डिग्रीधारी भी बढ़े हैं। लेकिन दुखद है कि सामाजिक कार्यकर्ता बनाने का काम बंद हो गया है। दुआ कीजिए! हम फिर से एजुकेटिड होना शुरु करें। ❑

नीम जीवन का अमृत

आज विदेशी कंपनियां नीम का पेटेंट बनाकर अपना अधिकार बताकर इसको पेटेंट कराने में लगी है। यदि ऐसा हो गया तो हम नीम पर अपना अधिकार खो देंगे और विदेशी कंपनियां हमारे नीम के उत्पाद को 4 गुना कीमत पर हमें खरीदने के लिए मजबूर करेगी जिससे भारतीय लोगों का स्वाभिमान खत्म हो जाएगा तथा भारतीय संस्कृति पर कुठाराघात होगा। हमारे ऋषि मुनियों ने ज्ञान को बेचने का या पैसा कमाने का साधन नहीं बनाया बल्कि ज्ञान को जन–कल्याण हेतु उपयोग किया. . .

■ भानुदास गोखे

नीम भारतीय संस्कृति में विशेष महत्व रखता है। नीम को प्रकृति ने सम्पूर्ण वैद्य माना है। यह कफ, पित्त नाशक, रक्त शोधक, कब्ज को तोड़ने वाला, फोड़ा फुंसी को दूर करने वाला है। इसके पत्ते और निम्बोलियों में रक्त शुद्ध करने की क्षमता है। रोग प्रतिकार शक्ति को बढ़ाता है। जो खायेगा वह पहले मुँह बनाएगा लेकिन एक बार फिदा हो गया तो जिन्दगी भर स्वास्थ्य सुरक्षित रखेगा। नीम के पेड़ की आयु 100 से अधिक होती है। एक पेड़ से 30 से 40 किलो निम्बोली मिलती है।

इसमें उच्च रक्तचाप, पीलिया, बवासीर, मांसपेशियों का खींचना, क्रोनिक अलसर, दांत के रोग, गंजापन, थाईराइड, खांसी, ज्वर, हृदयदाह, वमन, कफ, पित्त रोग को ठीक करने की क्षमता है। हाल ही प्रयोग में यह सिद्ध हुआ है कि इसे एड्स की बीमारी को भी ठीक करने में मदद मिलती है। नीम की छाया में ठंडक अधिक होती है अधिक गर्मी में और वृक्षों की अपेक्षा विशेष ठंड का अनुभव होता है इसलिए इसे प्राकृतिक कूलर की संज्ञा दी गई है। यह किसी भी वातावरण में लगने वाला पेड़ है।

नीम और वैदिक साहित्य

- ऋग्वेद में नीम को मुख्य कीटनाशक कहा गया है।
- अर्थववेद में घरेलू औषध के रूप में माना गया है।
- अग्नि पुराण में नीम को कुष्ठ रोग की औषधि के रूप में मान्यता दी है।
- चरक सहिता में असाध्य रोगों का उपचार तथा ग्रामीण औषधालय कहा गया है।

वैज्ञानिक तथ्य

नीम कार्बन डाई आक्साइड को अवशोषित करती है और प्राण वायु छोड़ता है। मनुष्य जीवन में नीम महत्वपूर्ण पेड़ है। कोलम्बिया विश्वविद्यालय ने नीम को सभी रोगों की रोकथाम की अचूक दवा सिद्ध बताया है।

नीम का रासायनिक संगठन – 12.40 से 18.27% कूड प्रोटीन; 11.40 से 23.08% क्रूड फायबर; 43.32 से 66.6% कार्बोहाइडेट; 2.27 से 6.24% नाइटोजन युक्त आर्क; 7.82 से 18.37% राख; 0.89 से 3.96% कैल्शियम; 0.10 से 0.30% फॉस्फोरस; 2.3 से 6.9 वसा पाया जाता है।

नीम की खली में – नाइटोजन 2 से 3%; फास्फोरस 1%; पोटेशियम 1.4% पाया जाता है।

इसके साथ ही टेनिक एस्डि में 1 से 1.5 प्रतिशत तथा उच्च मात्रा में सल्फर योगिक 1.07 प्रतिशत से 1.36 प्रतिशत पाया जाता है। नीम केक में अमीनो एसिड प्रचूर मात्रा में पाया जाता है। इससे नीमाटोड की संख्या में धीरे–धीरे कमी आती है। यह कार्बनिक खाद का प्रमुख स्रोत है।

पर्यावरण सुधार

यह शुष्क क्षेत्र में भी सरलता से पनप सकता है। यह मृदा के कटाव को रोकने में सक्षम है। नीम में कैल्शियम खनन का

अद्भुत गुण है जो कृषि योग्य अम्लीय मृदा के लिए अच्छा माना जाता है। इसमें खनिजों को बांधने की क्षमता है। यह तेज हवा को भी रोकता है। नीम में कार्बन डाई आक्साइड तथा सल्फर डाई आक्साइड से होने वाले दुष्परिणामों को रोकने की क्षमता है। खराब जल में भी पनपने की क्षमता होने के कारण प्रदूषण से होने वाले दुष्परिणामों से बचा जा सकता है। जहां प्रदूषण के कारण कोई पेड़ नहीं उगता वहां पर नीम उगाकर वातावरण को प्रदूषण मुक्त किया जा सकता है।

कृषि में नीम का महत्वपूर्ण योगदान

नीम कार्बनिक खाद का प्रमुख स्रोत है। खेती में इसका प्रयोग नाइट्रोजन के अभाव की पूर्ति और फसल के पोषण के लिए उपयुक्त माना जाता है। यह प्राकृतिक खाद के लिए भूमि की उर्वरक शक्ति बढ़ाने, उसकी ताकत बनाए रखने में बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है। यह बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने में सक्षम है। इसमें कैल्शियम खनिज उपलब्ध होने के कारण मिट्टी की क्षारीयता को बदलकर उपजाऊ बनाता है।

कार्बनिक मात्रा का तुलनात्मक अध्ययन

महुआ – 2.5 प्रतिशत
अरंडी – 4.3 प्रतिशत
सूरजमुखी – 4.9 प्रतिशत
नीम खली – 5.2 प्रतिशत

नीम की खली के उपयोग से भूमि की मृदा (नमी) बनी रहती है। कीट, दीमक, संक्रामक जीवाणु के प्रकोप को प्रतिबंधित कर फसल को बचाता है। नीम मिट्टी के नमी को बनाए रखने में सक्षम है।

नीम में हवा से फैलने वाले कीटों को रोकने की क्षमता है। नीम की खली को खेत में डालने से कवक, नीमीटोड आदि का आक्रमण नहीं होता। नीम की खली खेत में डालने पर मिट्टी को पोषण तो देती ही है इसके अतिरिक्त मिट्टी को कीड़ों, गोल कृमियों तथा फंगस से भी बचाता है तथा नुकसानदायक जीवाणुओं से भी बचाता है।

नीम की खली 5.6 प्रतिशत नाइट्रोजन 60 दिन में छोड़ता है। इसमें कार्बोहाइड्रेड 26.17 प्रतिशत क्रूड तथा प्रोटीन पाया जाता है।

नीम की खाद का महत्व

- यह खाद लगातार 3 वर्ष तक असर करती है।
- जल धारण करने की क्षमता होती है।
- लगातार 3–4 वर्ष के खाद देने की आवश्यकता नहीं पड़ती।
- श्रम और समय की बचत होती है।
- निःशुल्क आसानी से मिलता है।
- लोगों को इससे रोजगार मिलता है।
- बागवानी, पशुपालन, मछलीपालन, रेशम कीट पालन, मधु मक्खी पालन को सहयोग और रोजगार की प्राप्ति।
- अनुपजाऊ मिट्टी का उपजाऊ बनाने में सक्षम।
- मधुमक्खी के संरक्षण, सुंदर गंध होने के कारण मधुमक्खी इसके पेड़ पर अधिक शहद उत्पादन करती है।
- नीम से भूमिगत जल, मृदा उपरी जल वायु एवं उत्पादित पदार्थ दूषित नहीं होते बल्कि इसमें शुद्धता एवं पौष्टिकता आती है।

नीम का एड्स के बचाव में उपयोग

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की उप महानिदेशक नमिता चंडोक के अनुसार लेप या जेल के रूप में होने वाली दवा महिलाओं के योनी मार्ग (एचआईवी) के संक्रमण से बचाव में सक्षम है। यह चिकित्सा जगत में दुनिया का आश्चर्य है।

नीम सर्वोत्तम कीटनाशक

इसकी बीज, गरी, डाल, तना एवं जड़ कीटनाशक प्रतिरोधक, कीटनाशी, कीट वृद्धि विघटक, गोल कृमि प्रतिरोधी, कवक/फफूंदनाशी, जीवाणु नाशी, कीट/वायरस/बैक्टीरिया विकर्षक और कीटों के विरुद्ध बंधीकरण गुणवाला है। नीम को व्यापक पैमाने पर उपयोग में लाया जा सकता है।

कृषि में नीम सहायक

- एक हेक्टेयर 3–5 किलो नीम तेल 100 लीटर पानी में छिड़काव करने से पत्ते काटने वाले कीटों से रक्षा होती है।
- 5 लीटर नीम तेल 50 लीटर पानी एवं 50 ग्राम साबुन का घोल तैयार कर स्प्रे करें।
- जुताई के समय 1 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से नीम खली डालने से फसल खाने वाले कीटों से रक्षा होती है।
- नीम खली में पुआल की राख मिलाकर देने से अच्छे परिणाम आए है।
- एक लीटर जल में 350 ग्राम पत्ती रात भर भिगो कर रखना, छानकर छिड़काव करना।
- मक्का के बीज को 10 ग्राम तेल 1 किलो में लगाकर रखने से अनाज भंडारण में मदद मिलती है।
- 500 ग्राम नीम बीज 10 लीटर पानी में रात भर भिगोना, छानना और छिड़काव करें।
- 3 लीटर नीम तेल 100 लीटर पानी में घोलना और उसमें 100 ग्राम साबुन घोलकर छिड़काव करना।
- एक किलो हरी नीम की पत्ती + 1 लीटर गोमूत्र (24 घंटे पुराना) 10 लीटर पानी में रात भर मिलाना, छानना और

छिड़काव करना।

उपरोक्त सभी छिड़काव शाम 4 बजे करना चाहिए।

जैविक कीट नियंत्रण में नीम का योगदान

गोमूत्र 12 किलो, नीमपत्ती 2 किलो, च्वजूराफल 10 नग, तम्बाकू 100 ग्राम, भटकटैया 10 ग्राम सभी सामग्री गोमूत्र में पकाये, आधा रह जाने पर उसे ठंडा कर छान लें। एक लीटर घोल को 100 लीटर पानी में मिलाकर सुबह शाम छिड़काव करें।

विशेषताएं

● विषाक्तता जो मधुमक्खियों या गैर संक्रमण कीटाणुओं के लिए उपयोगी है।

● भारतीय वैज्ञानिक द्वारा 106 से अधिक कीटों पर प्रयोग कर नीम की विशेषताएं सिद्ध की जा चुकी है।

● खेती में कोई दुष्परिणाम नहीं है।

● दीमक, पतंग, कृमि, धुन, टिड्डी, तितली, मक्खी, लाही इत्यादि सहित 120 किस्म के कीटों को नियंत्रण करने में सक्षम है।

नीम के कृषि के अलावा अन्य महत्वपूर्ण उपयोग

● 10 किलो जल में 80 ग्राम नीम तेल मिलाकर या 10 किलो जल में 1 किलो नीम की पत्ती उबालकर उसमें बोरे रात भर भिगो कर रखना और सुखाकर अन्ना भरना। इस विधि से आठ माह तक अन्न सुरक्षित रखा जा सकता है।

● कोठी में 1½ किलो से 2 किलो नीम की पत्ती डालकर अन्न भंडारण सुरक्षित रखा जा सकता है।

● फलीदार अन्न एवं मक्का में 100 से 300 ग्राम नीम तेल प्रति क्विंटल मिलाने पर बिना किसी हानि के 135 दिन तक रखा जा सकता है।

सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन में नीम

● हिन्दू चितंक, मुस्लिम हकीमों ने दैवी वृक्ष की संज्ञा दी है।

● वराह पुराण (172.39) के अनुसार जो व्यक्ति एक पीपल, 1 नीम, 1 बड, 10 फूलों के पौधे या लतायें, 2 अनार, 2 संतरा या आंवला, बेल और 2 आम का वृक्ष लगाता है नरक में नहीं जाता।

● नीम का वृक्ष घर में वाव्यय दिशा (उत्तर और पश्चिम के मध्य) लगाता है। वहाँ शनि का प्रकोप नहीं होता है। प्रातः नीम के पेड़ को नमस्कार कर घर से निकले तो मन वांछित फल की प्राप्ति होती है।

भूत पिशाच शनि निकट नहीं आवे।
जब नीम का पेड़ घर में उगावे।

इस प्रकार की कहावत है।

विद्वानों और संत महात्मा की दृष्टि में नीम

नीम समान कोई नहीं, सात दिप नौ खंड तीन लोक न पाइये, अस इछिस ब्रह्माण्ड।

अर्थात् सात दीप नौ खंड तीन लोक तथा ब्रह्माण्ड में नीम जैसा हितकारी कोई वृक्ष नहीं है।

महामना मदन मोहन मालवीय जी के दृष्टि में नीम

इन्होंने नीम वृक्ष को माँ की संज्ञा दी है। माँ के बिना संतान आश्रयहीन और अनाथ हो जाती है उसी प्रकार नीम वृक्ष बिना पक्षी अनाथ हो जाते हैं।

उनके उद्‌गार इस प्रकार है –

बाबा सबरे चिरैया उड़ि जहि है
रहि जइऐ निमिया अकेली।
बाबा रे बिटिउआ जइहे सासुर
रही जइहे माइ अकेली।

● शुक्रचार्य के राज में नीम का पेड़ काटना अपराध माना जाता था।

● यदि नीम का वृक्ष न हो तो बसंत का जन्म नहीं होगा। माना जाता है क्योंकि नीम बारह मास हरा रहता है।

● कृषि जीवन को व्यवस्थित संचालित करने के लिए 3 नीम के पेड़ और 2 गाय कृषकों के पास रहना अति आवश्यक है। जिससे महंगा रासायनिक खाद नहीं खरीदना पड़ेगा और बिना पैसों के घर में खाद तैयार होगा।

चुनौतियां

आज विदेशी कंपनियां नीम का पेटेंट बनाकर अपना अधिकार बताकर इसको पेटेंट कराने में लगी है। यदि ऐसा हो गया तो हम नीम पर अपना अधिकार खो देंगे और विदेशी कंपनियां हमारे नीम के उत्पाद को 4 गुना कीमत पर हमें खरीदने के लिए मजबूर करेगी जिससे भारतीय लोगों का स्वाभिमान खत्म हो जाएगा तथा भारतीय संस्कृति पर कुठाराघात होगा। हमारे ऋषि मुनियों ने ज्ञान को बेचने का या पैसा कमाने का साधन नहीं बनाया बल्कि ज्ञान को जन–कल्याण हेतु उपयोग किया और भारतीय संस्कृति का तथा भारत का स्वाभिमान बढ़ाया है। आज नीम का महत्व जन–जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है।

हम सच्चे भारत माँ के लाल हैं तो इसका महत्व सभी भारतीय को बताना आवश्यक है और नीम का महत्व भारतीय लोगों तक पहुंचाने की सक्रिय भागीदारी निभाना आवश्यक है तभी हम भारत की संस्कृति और स्वाभिमान को बचा सकेंगे। साथ ही कम से कम हमें 10 नीम के पौधे लगाने चाहिए तथा नीम को सांस्कृतिक विरासत मान कर कार्य करना चाहिए।❑

समाचार परिक्रमा

ग्लोबल वार्मिंग का साया जीडीपी पर

एशियाई विकास बैंक (एडीबी) द्वारा जारी एक सर्वे की रिपोर्ट में यह आशंका व्यक्त की गई है 'भारत सबसे बड़ी कृषि अर्थव्यवस्थाओं में विश्व यदि जलवायु संबंधी खतरों का समाधान करने में असफल रहता है तो 2100 तक भारत को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 8.7 फीसद तक का नुकसान हो सकता है।' इसके अतिरिक्त बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका को 2050 तक सालाना जीडीपी के औसतन 1.8 फीसद तक नुकसान हो सकता है जो 2100 तक बढ़कर 8.8 फीसद हो जाएगा। एडीबी के अनुसार यदि तापमान में बढ़ोतरी दो प्रतिशत से नीचे रखने के लिए पहल होती तो है तो 2100 तक खतरे का स्तर दो फीसद से नीचे रखा जा सकता है। ❑

कम होगी आने वाले दिनों में मकानों की कीमते

देश के शहरों में आधी आबादी से अधिक लोग किराए पर रहते हैं परन्तु हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के नवनियुक्त डिप्टी गवर्नर एसएस मुंद्रा का कहना है आज तैयार मकान इतनी बड़ी संख्या में उपलब्ध हो रहे है कि आने वाले दिनों में मकानों की कीमतें कम हो सकती हैं। श्री मुंद्रा ने राष्ट्रीय रीयल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम यह बात कही। उन्होंने कहा कि देश में अब भी लोगों के लिए मकान खरीदना महंगा सौदा है। आज देश की 60 प्रतिशत से अधिक आबादी रोजाना दो डालर से भी कम में गुजर–बसर करने के लिए मजबूर हैं। ऐसे में इनकी कीमतों में कमी आना काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि शहरी क्षेत्रों में एक करोड़ 88 लाख मकानों की कमी है। इसमें आर्थिक रूप से पिछड़े एक करोड़ पांच लाख लोगों और मध्यम आय वर्ग के 74 लाख लोगों के पास अपना मकान नहीं है। ❑

अगले साल होंगे प्लास्टिक के नोट

भारतीय रिजर्व बैंक अगले साल से प्लास्टिक के नोटों का प्रचलन शुरू करेगा। बैंक ने अपनी सालाना रिपोर्ट में बताया है कि अगले साल प्लास्टिक के नोटों का 'फील्ड ट्रायल' शुरू कर दिया जाएगा। फील्ड ट्रायल के लिए मैसूर, कोच्चि, जयपुर, भुवनेश्वर और शिमला में इन्हें जारी किया जाएगा। ट्रायल के दौरान कम मूल्य के नोट जारी किए जाएंगे। फिर धीरे–धीरे इनका दायरा बढ़ाया जाएगा। रिजर्व बैंक के अनुसार कागज के नोटों के जल्दी खराब होने की समस्या से निपटने के लिए यह फैसला किया गया है। देखा जाए तो कई देशों में पहले से ही प्लास्टिक के नोट प्रचलन है और इनकी खासियत यह होती है कि इन पर जल्दी दाग नहीं पड़ते और न कटते–फटते हैं। इन प्लास्टिक के नोटों में ऐसे विशेष फीचर होंगे जिनकी नकल कर फर्जी नोट बनाना संभव नहीं होगा। इसके अलावा बैंक नोटों की उम्र लंबी करने के लिए वह अन्य उपायों पर भी विचार कर रही है। बाजार में प्रचलन में मौजूद नोटों की बढ़ती संख्या को देखते हुए बैंक उनके भंडारण, परिवहन और वितरण में नई तकनीकें अपनाएगा जाएगी। ❑

जम्मू-कश्मीर में बाढ़ का कहर

मानसूनी बारिश ने जम्मू–कश्मीर की दशा बिगाड़ दी है। शहरी इलाको के अलावा ढाई हजार से ज्यादा गांव प्रभावित हो चुके हैं और करीब साढ़े चार सौ गांव जलमग्न हो गए है। पिछले 60 वर्षों के बाद यह बाढ़ राज्य में आई है। जिसके कारण जम्मू–कश्मीर में भूस्खलन और हजारों मकान ध्वस्त हो गए हैं।

प्रधानमंत्री ने जम्मू–कश्मीर की बाढ़ को राष्ट्रीय स्तर की आपदा घोषित कर दिया है साथ ही 100 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज राज्य को देने की बात की और सभी राज्यों से जम्मू–कश्मीर की सहायता करने को कहा है। ❑

अर्थव्यवस्था में हो रहा सुधार

वित्त सचिव अरविंद मायाराम ने एसोचैम के एक कार्यक्रम में कहा कि अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत दिखने लगे। उन्होंने कहा, 'मुझे पूरा भरोसा है कि हम 5.8 फीसद की वृद्धि दर हासिल करेंगे। यदि हम वृद्धि के रुख को देखें तो अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत दिखने लगे हैं। वही रिजर्व बैंक ने 2014–15 में देश की आर्थिक वृद्धि दर 5.5 फीसद रहने का अनुमान लगाया है। दूसरी ओर आर्थिक समीक्षा में वृद्धि दर 5.4 से 5.9 फीसद रहने का अनुमान लगाया गया है। पिछले वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि दर घटकर 4.7 फीसद पर आ गई थी। अरविन्द मायाराम ने कहा, 'इस बात के स्पष्ट संकेत हैं कि बुनियादी ढांचा क्षेत्र रफ्तार पकड़ रहा है। कंपनियों की आर्डर बुक भी बढ़ रही है।' उन्होंने उम्मीद है कि अब मुद्रास्फीति में कमी के संकेत दिखा रहा है, ऐसे में रिजर्व बैंक जरूरत से अधिक समय तक ब्याज दरों को ऊंचा नहीं रखेगा। ❑

यही हाल रहा तो 200 साल तक साफ नहीं होगी गंगा : सुप्रीम कोर्ट

गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने के केन्द्र सरकार के चुनावी वादे पर सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार की वर्तमान योजना से गंगा नदी 200 साल में भी प्रदूषण मुक्त नहीं हो पाएगी। जस्टिस तीरथ सिंह ठाकुर और आर भानुमति की बेंच ने कहा कि अभी तक किए गए उपाय से 200 साल बाद भी देश की पवित्रतम नदी गंगा को स्वच्छ नहीं बना सकेंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि तीन सप्ताह के भीतर गंगा नदी की सफाई कर उसका प्राचीन गौरव बहाल करने के लिए चरणबद्ध योजना पेश की जाए। बेंच ने सरकार से कहा कि आपकी कार्य योजना देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि 200 साल बाद भी गंगा साफ नहीं होगी। महत्वाकांक्षी परियोजना का मूल्यांकन करके आपको गंगा का प्राचीन गौरव बहाल करने के लिए कदम उठाने हैं। अदालत ने कहा कि यह महत्वाकांक्षी परियोजना है। कोशिश करें कि अगली पीढ़ी नदी को अपने मूल रूप में देखे।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस कार्ययोजना के प्रति नौकरशाही वाला नजरिया गंगा नदी को स्वच्छ बनाने की प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी परियोजना को पूरा करने में मददगार नहीं होगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दूसरे देशों से मिलने वाली वित्तीय मदद को लेकर चिंतित नहीं है, परंतु उसकी चिंता है कि 250 किलोमीटर लंबी नदी की सफाई परियोजना पर काम करने के बारे में आम आदमी को कैसे समझाएंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से विशेष रूप से कहा कि गंगोत्री से नीचे 135 किलोमीटर की नदी के पारिस्थितिकी दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में अवगत कराया जाए, क्योंकि वर्ष 2003 की अधिसूचना के बाद से कोई कदम उठाया ही नहीं गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 24 सितम्बर के लिए स्थगित करते हुए कहा कि सरकार के मौजूदा हलफनामे में इस मसले पर सिर्फ मोटी रूपरेखा पेश की गई है और चरणबद्ध योजना के बगैर नदी को साफ करना मुश्किल होगा। ❑

देश में कर्मचारी रिटायरमेंट के लिए बचत नहीं कर पाते

देश में सालाना बचत दर अधिक होने के बावजूद करीब 78 प्रतिशत भारतीय कर्मचारी मानते हैं कि वे सेवानिवृत्ति के बाद आराम से दिन बिताने के लिए पर्याप्त बचत नहीं कर रहे हैं। देश में बचत दर चीन के बाद सर्वाधिक है। टावर्स वाटसन इंडिया की रिपोर्ट की माने तो अब बड़ी संख्या में कर्मचारी इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं हैं कि उच्च मुद्रास्फीति दबाव के बीच क्या लंबे समय तक सेवानिवृत्त जीवन व्यतीत कर सकते हैं। कंपनी के निदेशक अनुराधा श्रीराम ने कहा, 'उच्च मुद्रास्फीति तथा छोटे परिवार की बढ़ती संख्या के कारण सेवानिवृत्ति के लिए पर्याप्त बचत तेजी से एक राष्ट्रीय चुनौती बनती जा रही है जिसका गंभीर आर्थिक और सामाजिक प्रभाव भी है।' रिपोर्ट के अनुसार भारतीय कर्मचारी चीन के बाद सर्वाधिक 16 प्रतिशत बचत कर रहे हैं। इसके बावजूद लोगों को इस बात का विश्वास नहीं है कि वे सेवानिवृत्ति के बाद लंबे समय तक आरामदायक जीवन व्यतीत कर सकेंगे। ❑

दुग्ध उत्पादन में अव्वल उत्तर प्रदेश

आज देश में दूध उत्पादन की बात करें तो कुल 12.10 करोड़ टन उत्पादन में 17 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी के साथ उत्तर प्रदेश शीर्ष पर पहुंचा गया है और प्रदेश में हर वर्ष 2.10 करोड टन दूध उत्पादन हो रहा है।

हाल ही में एसोचैम की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1,400 से अधिक डेयरी कारखानों में सात प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ पांचवे स्थान पर रहा उत्तर प्रदेश पंजीकृत डेयरी इकाइयों में सीधे तौर पर रोजगार के अवसर पैदा करने के लिहाज से पांचवे नंबर पर है। देश के कुल डेयरी उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है। भारतीय डेयरी उद्योग की क्षमताओं एवं विकास को लेकर एसोचैम के एक सर्वे में बताया गया कि पंजीकृत डेयरी इकाइयों में रोजगार के सीधे अवसर के लिहाज से 8 फीसदी से कुछ अधिक हिस्सेदारी के साथ उत्तर प्रदेश पांचवे नंबर पर है। ❑

दुनिया की आबादी से ज्यादा होंगे मोबाइल फोन

इस साल के आखिर तक दुनियाभर में मोबाइल फोनों की संख्या बढ़कर 7.3 अरब होने का अनुमान है जबकि आबादी सात अरब के आसपास होगी। यह बात एक सर्वे के दौरान आई है। आज के दौर में मोबाइल फोन मानव जीवन का अंग बन गया है। बिना मोबाइल फोन के मानव अपने आपको अकेला पाता है। सुबह उठने से लेकर रात्रि को सोने तक करीब–करीब हर व्यक्ति के ज्यादातर कार्य इसी के जरिए होते हैं। सर्वे के अनुसार हर व्यक्ति हर रोज सेलफोन पर पांच घंटे व्यस्त रहता है। ❑

कृषि ऋण देने में पिछड़े ग्रामीण बैंक

एक ओर प्रधानमंत्री देश के हर परिवार के पास बैंक खाते को राष्ट्रीय प्राथमिकता बता रहे हैं कि अब देश में प्रत्येक परिवार का बैंक खाता होगा। वही दूसरी ओर कृषि कार्य के लिए ऋण देने के मामले में सहकारी और ग्रामीण बैंक अपने ही लक्ष्य से पीछे रह गए हैं। पिछले वित्त वर्ष के दौरान सहकारी बैंकों ने 1250 अरब रपए का जबकि ग्रामीण बैंकों ने 1000 अरब रपए का कृषि ऋण देने का लक्ष्य रखा था। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), इंडियन बैंक एसोसिएशन और सार्वजनिक बैंकों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार इस दौरान सहकारी बैंक 1199 अरब रपए का कृषि ऋण ही दे पाए जबकि ग्रामीण बैंक 827 अरब रपए का कृषि ऋण ही उपलब्ध करा पाए। जबकि इस दौरान व्यावसायिक बैंकों का प्रदर्शन अच्छा रहा। जबकि कृषि ऋण का 7000 अरब रपए का लक्ष्य हासिल करते हुए 7116 अरब रपए का ऋण दिया गया। सहकारी बैंकों और ग्रामीण बैंकों का लक्ष्य हासिल नहीं कर पाना एक तरफ से चिंता का विषय बनता है क्योंकि इन बैंकों का फोकस ग्रामीण इलाकों में ही है। ❑

देश में प्रति एक करोड़ की आबादी पर सिर्फ एक बैंक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी जनधन योजना शुरू हो चुकी है। जिसका मकसद गरीबों के बैंक खाता खोलकर आर्थिक छुआछूत को समाप्त करना है। योजना के पहले दिन देशभर में 1.5 करोड़ बैंक खाते भी खुल गए। परन्तु इस वित्तीय समावेशी मिशन के लिए एक बड़ी चुनौती यह भी है कि प्रति एक लाख व्यक्ति बैंकों की संख्या के मामले में भारत न सिर्फ विकसित देशों से पीछे है बल्कि उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले देशों के समूह ब्रिक्स में भी वह आखिरी स्थान पर है। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार देश में हर एक लाख की आबादी पर 0.01 बैंक है यानि हर एक करोड़ की आबादी पर एक बैंक। जबकि ब्रिक्स देशों में चीन में हर 50 लाख की आबादी पर एक बैंक, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील में हर 10 लाख की आबादी पर एक बैंक और रूस में हर 10 लाख की आबादी पर सात बैंक हैं। जबकि विकसित देशों के मुकाबले तो स्थिति और भी खराब है। हर दस लाख की आबादी पर जर्मनी में 23 बैंक, डेनमार्क में 22 बैंक, अमेरिका में 21 बैंक, इटली में 13 बैंक, फ्रांस में 11 बैंक और ब्रिटेन में पांच बैंक हैं। रिजर्व बैंक ने अपनी सालाना रिपोर्ट में बताया है कि अभी बैंकिंग क्षेत्र को अभी लंबा रास्ता तय करना है। ❑

स्विस बैंकों से निकाले अरबों रपए

काले धन के मामले में स्विट्जरलैंड पर भारत सरकार द्वारा दबाव बढ़ाए जाने के बीच करीब छह साल में विदेशी ग्राहकों ने वहां के बैंकों से 25000 अरब रपए की राशि निकाली ली है। यह बात पीडब्ल्यूसी की अध्ययन रपट में बताया गया है। हालांकि इस अध्ययन रपट में ऐसा कोई विशिष्ट आंकड़ा नहीं है जिसके आधार पर कहा जा सके कि वहां से निकाले गए धन में कितनी राशि भारतीयों की थी। स्विट्जरलैंड को काले धन की सुरक्षित पनाहगाह माना जाता है। हाल के बरसों सहित भारत सहित अन्य देशों ने स्विट्जरलैंड से ऐसे बैंक खातों की जानकारी के लिए दबाव बढ़ाया है। इसके चलते बड़ी संख्या में ग्राहक स्विस बैंकों से पैसा निकाल रहे हैं।❑

देश में बनी किचन हवा से पीने के पानी बनाने की मशीन

देश में पहली बार ऐसी तकनीक विकसित हुई है कि अब आप अपने किचन में भी हवा से पीने का पानी बना सकते हैं। पुणे की कंपनी 'टैप इन एयर' ने इस तकनीक से उन रसोईघरों में भी पेयजल उपलब्ध कराने की मशीन बनाने की दिशा में काम करना शुरू भी कर दिया है। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा आयोजित 'सृजन भारत' कार्यक्रम के दौरान इस कंपनी के प्रबंधक आनंद दाते ने बताया कि भारत में अमेरिकी तकनीक से दो तीन वर्षो से हवा से पानी बनाने का काम बड़े पैमाने पर चल रहा है पर हमने रसोई घर में हवा से पानी बनाने की स्वदेशी तकनीक हमने देश में निर्मित की है। इसके जरिए कोई व्यक्ति अपने किचन में भी हवा से पेयजल बना सकता है। दिसम्बर माह में इस मशीन को लांच किया जाएगा।

श्री दाते के अनुसार अभी जिस अमेरिकी मशीन से हवा से पानी भारत में बनाया जा रहा है। उसकी कीमत 15 लाख रपए है। इसलिए यह मशीनें दफ्तरों या कारपोरेट हाऊस में तो लगाई जा सकती है पर निजी उपयोग के लिए यह महंगी है। उन्होंने कहा कि हमने घरों में निजी इस्तेमाल के लिए एक छोटी मशीन टीआईए–30 स्वदेशी तकनीक से बनाई है जिसकी कीमत 55 हजार रपए होगी। उन्होंने बताया कि 15 लाख की मशीन से छह यूनिट खर्च कर प्रति घंटे 48 लीटर पानी हवा से बनाया जाता है जबकि छोटी मशीन से एक यूनिट बिजली खर्च कर प्रतिदिन 30 लीटर पानी हवा से बनाया जा सकता है। ❑

बदलते मानसून के खतरे

विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग के कारण भारत में बाढ़ और सूखे का सिलसिला बढ़ जायेगा। देश में सूखा व्यापक और आये दिन की बात हो जायेगी। विश्व बैंक द्वारा कराये गये शोध में वैज्ञानिकों ने कहा है कि अगले 20 से 30 वर्षो में तापमान में दो डिग्री की बढ़ोत्तरी होने से बेहद गर्म हवाएं चलेंगी। तेज चक्रवाती तूफान आयेंगे और सूखे के कारण खाद्यान्न की कमी होगी।

■ निरंकार सिंह

जम्मू कश्मीर में हुई भीषण बारिश और बाढ़ ने देश के मौसम वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों को भी चौंका दिया है। इस बारिश और बाढ़ का प्रकोप पाकिस्तान में भी देखने को मिला है। पिछले तीन–चार वर्षो के दौरान लेह, लद्दाख, पाकिस्तान, उत्तराखण्ड की घाटी केदारनाथ में आये जल प्रलय ने वहाँ के जनजीवन को भारी क्षति पहुँचाई है। अब जम्मू कश्मीर में

नियंत्रण रेखा के दोनों तरफ जिस तरह वर्षा और बाढ़ आयी है उससे यह बात साफ हो गयी है कि भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून का पैटर्न पूरी तरह बदल गया है। बर्फबारी के लिए मशहूर इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है। धान और खेती का गढ़ समझे जाने वाले इलाके सूखते जा रहे हैं। उधर राजस्थान और सिंध के रेगिस्तानी इलाकों में महीनों पानी भरा रहा है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि यह संकट जलवायु परिवर्तन के कारण पैदा हुआ है। एशियाई विकास बैंक की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन के खतरों से यदि दुनिया निपटने में विफल रही तो इस सदी के अन्त तक भारत को आर्थिक रूप से सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 8.7 प्रतिशत तक नुकसान हो सकता है।

इस रिपोर्ट के अनुसार यदि मौजूदा जलवायु परिवर्तन के खतरे के बावजूद वैश्विक व्यवहार में तब्दीली नहीं आई तो भारत समेत उसके पड़ोसियों बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचने की आशंका है। इसके चलते 2050 तक भारत की जीडीपी को वार्षिक रूप से औसतन 1.8 प्रतिशत आर्थिक नुकसान होने का खतरा है। अन्य पड़ोसियों की भी कमोवेश यही स्थिति रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। इसके विपरीत यदि वैश्विक प्रयासों के चलते वर्ष 2100 तक तापमान में बढ़ोत्तरी दो डिग्री सेल्सियस से कम रहती है तो भारतीय अर्थव्यवस्था के नुकसान की दर भी दो प्रतिशत से कम रहेगी। देश की अधिकांश ग्रामीण आबादी को कृषि से रोजगार और जीविकोपार्जन के अवसर उपलब्ध होते हैं। जलवायु परिवर्तन के चलते तापमान में बढ़ोत्तरी और बारिश के स्तर में बदलाव होने के कारण इस परिवर्तन से सम्बन्धित बाढ़ और सूखे के खतरे बढ़ जाते हैं। नतीजतन लोगों की खाद्य सुरक्षा, और जीवन पर विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा। वर्षा के स्तर के प्रभावित होने के चलते पूर्वोत्तर राज्यों का धान की पैदावार में योगदान तो बढ़ जायेगा लेकिन दक्षिण भारतीय राज्यों की वार्षिक पैदावार में इस सदी के चौथे दशक में पांच प्रतिशत, छठे दशक में 14.5 प्रतिशत और नवें दशक में 17 प्रतिशत तक की गिरावट आयेगी।

देश की तटीय रेखा तकरीबन आठ हजार किमी. लम्बी है। इसके चलते समुद्र के जलस्तर के बढ़ने से तकरीबन आधे राज्य बुरी तरह प्रभावित होंगे। गुजरात

और महाराष्ट्र के सबसे ज्यादा प्रभावित होने की आशंका रिपोर्ट में व्यक्त की गयी है। हिमालय के ग्लेशियर और बर्फ पिघलने से अर्द्ध–शुष्क पर्वतों के आस–पास रहने वाले तकरीबन 17 करोड़ लोग मौसमी चक्र के परिवर्तन के कारण प्रभावित होंगे। उच्च तापमान और दीर्घकालिक सूखे के कारण सीमित जल संस्थानों पर गंभीर तनाव पड़ेगा। नतीजतन कृषि और ऊर्जा क्षेत्र के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। यदि दुनिया के विकास की मौजूदा रफ्तार रही तो जलवायु परिवर्तन के खतरे से निपटने के लिए दक्षिण एशिया में अब से लेकर 2100 तक लगातार हर साल 73 अरब डॉलर यानि औसतन जीडीपी का 0.86 प्रतिशत खर्च करना होगा। दूसरी तरफ वैश्विक प्रयासों के चलते यदि वैश्विक तापमान में बढ़ोत्तरी ढाई डिग्री सेल्सियस से कम रहती है तो इस क्षेत्र को विनाशकारी प्रभाव से निपटने के लिए 40.6 अरब डॉलर यानि जीडीपी का 0.48 प्रतिशत ही खर्च करना होगा।

गरमी, बरसात और जाड़ा तीनों मौसम हमारी कृषि और अर्थव्यवस्था का मूलाधार है। पर मौसम में आ रहे बदलाव का खेती पर भी असर पड़ रहा है। आज भी हमारी खेती काफी हद तक मानसून पर निर्भर करती है। इसलिए बरसात का मौसम किसानों के लिए खुशियां लेकर आता है। जब अच्छी वर्षा होती है तो फसल भी अच्छी होती है। देश में लगभग 70 फीसदी वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून के समय जून से सितम्बर तक मात्र चार महीने में होती है। पर यह वर्षा देश में सभी जगह एक समान नहीं होती है। कहीं अधिक वर्षा होने के कारण बाढ़ की समस्या पैदा हो जाती है तो कुछ स्थानों पर कम वर्षा होने के कारण सूखे की चपेट में आ जाते हैं। देश के एक तिहाई हिस्सा में सूखे की संभावना सदैव बनी रहती है। इसमें हर वर्ष या कुछ वर्षो के बाद बार–बार भयंकर सूखे की समस्या का सामना करना पड़ता है। मौसम विज्ञानियों के अनुसार देश में सूखा पड़ना और कमजोर या कम बरसात का होना पश्चिमी प्रशान्त महासागर की सतह पर होने वाली घटनाओं से जुड़ा है जिसे 'एल–नीनो' और 'ला–नीना' कहा जाता है।

मौसम के इस बदलते मिजाज का कहर दुनिया के कई देशों को झेलना पड़ रहा है। लेकिन उनकी तैयारी पुख्ता है।

वर्ष 2050 तक अगर वैश्विक तापमान में दो में से ढाई फीसदी तक वृद्धि होती है तो गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियों के जलस्तर में काफी गिरावट आ सकती है। इसमें 63 करोड़ लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा पर संकट पैदा हो सकता है।

विश्व बैंक ने भारत को चेताया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण 2040 तक भारत में खाद्यान्न उत्पादन में काफी गिरावट आ सकती है। देश का 60 फीसदी खाद्यान्न उत्पादन मानसून पर आधारित है। 2050 तक अगर वैश्विक तापमान में दो में से ढाई फीसदी तक वृद्धि होती है तो गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियों के जलस्तर में काफी गिरावट आ सकती है। इसमें 63 करोड़ लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा पर संकट पैदा हो सकता है। जबकि जलस्तर में कमी कई अन्य समस्याओं को भी पैदा करेगा।

विश्व बैक ने एक बेहद प्रतिष्ठित संस्थान से यह अध्ययन करवाया है और रिपोर्ट तैयार करने में 25 वैज्ञानिकों की मदद ली गयी है। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2090 तक वैश्विक तापमान में अगर चार फीसदी की वृद्धि होती है तो इससे दक्षिण एशियाई देशों पर काफी असर पड़ेगा। इस पर्यावरण परिवर्तन का भारी खामियाजा देश को चुकाना पड़ सकता है। एक मीटर तक समुद्र का जल स्तर बढ़ने पर आने वाले वक्त में देश की सीमावर्ती 14000 वर्ग किलोमीटर जमीन हिन्द महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में समा जायेगी। इन जमीनों में देश की समृद्ध वन संपदा, मरूभूमि और आबादी वाले क्षेत्र है। देश के 48 प्राकृतिक क्षेत्रों में से 68 तटीय क्षेत्र प्रभावित हो सकते है। एक ताजा शोध में यह चेतावनी देते हुए बताया गया कि अगर समुद्र का जल स्तर एक मीटर तक बढ़ा तो भारतीय उपमहाद्वीप का करीब 13,973 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र समुद्र में गुम जायेगा और अगर छह मीटर तक जलस्तर बढ़ा तो विभिषिका देश की 60,497 वर्ग किलोमीटर जमीन जलमग्न हो जायेगी।

विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग के कारण भारत में बाढ़ और सूखे का सिलसिला बढ़ जायेगा। देश में सूखा व्यापक और आये दिन की बात हो जायेगी। विश्व बैंक द्वारा कराये गये शोध में वैज्ञानिकों ने कहा है कि अगले 20 से 30 वर्षो में तापमान में दो डिग्री की बढ़ोत्तरी होने से बेहद गर्म हवाएं चलेंगी। तेज चक्रवाती तूफान आयेंगे और सूखे के कारण खाद्यान्न की कमी होगी। इसका सबसे अधिक खामियाजा गरीब जनता को ही भोगना पड़ेगा। इसलिए हमें इन चुनौतियों से निपटने के लिए अभी से तैयारी करनी होगी। मानसून की सटीक क्षेत्रवार भविष्यवाणी करके हम जन–धन की क्षति पर लगाम लगा सकते हैं। चारोंधाम अमरनाथ यात्रा जैसे कार्यक्रम मौसम और मानसून के अनुसार तय किये जा सकते है। इसलिए अब मौसम के इस बदलते मिजाज पर सरकार और किसानों को भी विशेष ध्यान देना होगा। ❑

मंच आर्थिक आजादी का प्रतीक : राजेश उपाध्याय

प्रधानमंत्री की नीतियां देशवासियों को आर्थिक रूप से स्वावलंबन करने की है न कि उजाड़ने की। आज देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियां देश को आर्थिक रूप से बीमार करने में लगी है। मंच सदैव इसका विरोध करता है।

बीते माह ऊर्जा नगर के एमपीआई क्लब में स्वदेशी जागरण मंच का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। सम्मेलन की अध्यक्षता मंच के प्रांत संयोजक राजेश उपाध्याय ने की। उन्होंने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हुए मंच के उद्देश्यों को बारीकी से कार्यकर्ताओं के बीच रखा।

उन्होंने कहा कि स्वदेशी जागरण का आंदोलन पूरे देश में फैला है और विदेशी कंपनियों से छुटकारा दिलाने के लिये मंच आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में काम कर रही है। इसके अलावा उन्होंने कार्यकर्ताओं से देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की नीतियों पर भी चर्चा की।

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री की नीतियां देशवासियों को आर्थिक रूप से स्वावलंबन करने की है न कि उजाड़ने की। आज देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियां देश को आर्थिक रूप से बीमार करने में लगी है। मंच सदैव इसका विरोध करता है।

इसके अलावा उन्होंने कार्यकर्ताओं को पंचायत स्तर पर मंच की मजबूती के लिये काम करने को कहा। साथ ही उन्होंने पंचायत स्तर पर काम करने की जरूरत बताई। इस मौके पर विनोद कुमार सिंह, क्षेत्रीय प्रबंधक सचिन्द्र बरियार आदि ने भी अपने विचार रखें।

स्वदेशी जागरण मंच का प्रंतीय सम्मेलन पटियाला में (6-7 सितम्बर 2014) सम्पन्न

कार्यक्रम में एक प्रेस कांफ्रेंस में बंटा गया पत्र

स्वदेशी जागरण मंच का मानना है कि आज का आर्थिक परिदृश्य मजबूती और मजबूरी, आशा और खिंचाव के बीच झूल रहा है । जैसे कि गत मास इस बार जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन की बैठक में भारत ने कमाल कर दिया। व्यापार सरलीकरण के लिए व्याकुल अमरीका को बताया की भारत के किसानों की कीमत पर कुछ नहीं हो सकता। चीन भी भारत के साथ मिलकर अमरीकी दादागिरी के खिलाफ तालठोक कर खड़ा हो गया तो पूरी दुनिया के विकासशील और अविकसित देशों की आँखे भारत पर गढ़ गयी है। मंच का आह्वान है कि सरकार अगली बैठक में इस विषय पर अडिग रहे। गत 4–5 साल की लकवाग्रस्त अर्थव्यवस्था का फिर से पिछली तिमाही की जीडीपी की विकास दर बढ़कर 5.7 प्रतिशत तक हुई है जो की पिछले दो वर्ष की सर्वाधिक है।

प्रधान मंत्री का लालकिले से देश को आह्वान कि हमारे युवा देश के लिए कोई न कोई एक तकनीक विकसित करे स्वदेशी को बढ़ावा देने वाला है। इधर देश में माइक्रो–मैक्स जैसी गुडगाँव की भारतीय कंपनी दुनियां की ताकतवर मोबाइल कंपनियों को पछाड़ प्रथम स्थान पर आ खड़ी हुई। जनधन योजना के साथ अपने भारतीय एटी एम कार्ड रुपये को लोकप्रिय करना भी एक बड़ी उपलब्धि है। डेबिट, क्रेडिट कार्ड्स पर दुनियां की दो बड़ी कंपनियों मास्टर्स और वीजा का एकाधिकार है। नयी बात है की हमारे रिजर्व बैंक ने इनको दुनिया में पहली बार चुनौती दी और सफलता प्राप्त की है।

परन्तु हैरानी होती है की ऐसे में सुरक्षा और बीमा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 26% से 49% बढाने की क्या मजबूरी आन पड़ी थी? पीपीपी मॉडल जिसके खिलाफ इतनी जनधन की लूट की शिकायते आ रही है उसको इतना प्रोत्साहित करके सरकार अपनी जिम्मेवारी से क्यों भाग रही है? क्रायोजेनिक इंजन और सुपर कंप्यूटर को स्वदेशी तकनीक से विकसित करने वाला भारत सुरक्षा क्षेत्र में क्यों नहीं निर्यातक बन सकता। वायदा बाजार पर अंकुश क्यों नही लगाया जा रहा। आलू–टमाटर–प्याज जैसी रोजमर्रा की चीजो की कीमतें क्यों काबू नहीं आ रही? हम इस बात के लिए थोडा इन्तजार कर सकते है। परन्तु जिस प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए भारत बंद करवाने में भाजपा ही सबसे आगे थी, आज उसी के नेता उसकी पुरजोर वकालत करते दिखते हैं! अभी तक खुदरा व्यापार के बहु ब्रांड में एफडी आई समाप्त करने की ओर भी कदम बढाने की ढिलाई परेशानी करने वाली है।मंच सरकार से मांग करता है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अब तक की कारगुजारी पर श्वेत पत्र जारी करे। जी एम फसलो के जमीनी परीक्षण पर जब भाजपा के चुनाव घोषणा पत्र में आश्वासन दिया था तो फिर पर्यावरण मंत्रालय की एक समिति कैसे उसके खिलाफ सिफारिश कर रही है?

इन सब विषयों के प्रचार व जनजागरण के लिए 25 सितम्बर से 2 अक्टूबर के बीच स्वदेशी सप्ताह मनाया जाएगा। इस बीच साहित्य वितरण, चर्चा गोष्टियो का आयोजन होगा। इसी तरह देश भर के स्वदेशी चिन्तको, आन्दोलनकारियो और कार्यकर्तायों का जमावड़ा जयपुर में 11–12 अक्टूबर में राष्ट्रीय स्वदेशी संगम होगा। पंडित दीनदयाल द्वारा रचित एकात्म मानव दर्शन का ये स्वर्ण जयंती वर्ष है। मंच की और से विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा मनाया जायेगा और इसके साथ साथ इसे आधुनिक विकास का मॉडल के नाते चर्चा भी की जाएगा। हमारा मानना है की उस पुराने रास्ते को समझ कर बढ़ेगे तो भारत को दुनिया के लिए आकाशदीप बनाएगा। ❑

स्वदेशी जागरण मंच, गुड़गांव का गठन

शिक्षा का मूलमंत्र एक ही है कि सुदामा नामक गरीब और कृष्ण नामक अमीर एक साथ शिक्षा ग्रहण करे लेकिन आज की शिक्षा में बहुत असमानता है यह गरीब और अमीर का अन्तर बढ़ा रहीं हैं इसे तुरन्त समाप्त किया जाना चाहिए क्योकि गुरूकुल पद्धति वाली शिक्षा ही भारत में भारतीयों का हित कर सकती है।

– योगेश सक्सेना

दिनांक 7 सितंबर के दिन जीआईए हाउस महरौली रोड गुड़गांव में स्वदेशी जागरण मंच दिल्ली एनसीआर प्रान्त की योजनानुसार स्वदेशी संगोष्ठी का सफल आयोजन किया गया, जिसमें स्वदेशी जागरण मंच की गुड़गांव महानगर इकाई का औपचारिक उदघाटन किया गया।

कार्यक्रम में स्वदेशी जागरण मंच के दस बिन्दुओं में से चार बिन्दुओं शिक्षा, कृषि, जीएम फूड्स पर चर्चा हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रसिद्ध पर्यावरणविद, शिक्षाविद डॉ. सर्वदानन्द आर्य ने की।

डॉ. अश्विनी महाजन (स्वदेशी जागरण मंच, राष्ट्रीय सहसंयोजक) ने कहा कि मंच की स्थापना के 24 वर्षों के बाद गुड़गांव महानगर का औपचारिक गठन हुआ हैं। उन्होनें स्वदेशी की विचारधारा को भारत को जड़ों से जोड़ने वाली विचारधारा बताया और उन्होंने कहा कि सन् 1905 में अंग्रेजों के द्वारा बंगभंग के खिलाफ स्वदेशी आन्दोलन का शंखनाद भारत में हुआ था और अंग्रेजो को बंगाल का विभाजन वापस लेना पड़ा। अगर आज स्वदेशी जागरण मंच के नेतृत्व में भारत की आम जनता विदेशी कम्पनियों के षडयंत्रों के खिलाफ अगर एकजुट नहीं हुई तो भारत फिर से विदेशी ताकतों का आर्थिक व सामाजिक, सांस्कृतिक रूप से गुलाम होता चला जाएगा।

संगोष्ठी में पधारे प्रसिद्ध किसान नेता और विशेषज्ञ डॉ. कृष्णवीर चौधरी ने कृषि में भारतीयता का पक्ष रखते हुए पूर्व की राजनैतिक सरकारों को ललकारा। उन्होनें कहा कि रासायनिक खाद और कीटनाशकों के प्रभाव से देश की भारतीय पद्धति से कृषि करने का ज्ञान क्षीण हो गया है, आज आवश्यकता इस बात की है कि भारत के किसान भारतीय परम्परा से बनने वाली देशी खाद और देशी कीटनाशकों का पुनः प्रयोग करके भारत की खेती को विश्व में अंग्रेजों के आने से पूर्व की भाँति उन्नत स्थिति में पहुँचाए और देश को विश्वगुरू बनाएं।

भारतीय शिक्षा पर बोलते हुए इलाहाबाद से पधारें प्रसिद्व शिक्षाविद एवं हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के प्रसिद्व वरिष्ठ अधिवक्ता योगेश सक्सेना ने वर्तमान शिक्षा व्यवस्था की पुरजोर भर्त्सना की और गुरूकुल पद्धति की अच्छाईयो पर प्रकाश डालते हुऐं दर्शकों में उपस्थित शिक्षाविदों का मन मोह लिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा का मूलमंत्र एक ही है कि सुदामा नामक गरीब और कृष्ण नामक अमीर एक साथ शिक्षा ग्रहण करे लेकिन आज की शिक्षा में बहुत असमानता है यह गरीब और अमीर का अन्तर बढ़ा रहीं हैं इसे तुरन्त समाप्त किया जाना चाहिए क्योकि गुरूकुल पद्धति वाली शिक्षा ही भारत में भारतीयों का हित कर सकती है।

विशिष्ट अतिथि के तौर पर पधारे ख्याति प्राप्त भू–राजनीति और खाद्य एवं पोषण सुरक्षा प्रबन्धन विशेषज्ञ डॉ. अरूण श्रीवास्तव ने जीएम फूडस पर यूपीए सरकार को जमकर कोसा। भारत के कृषि तथा खाद्य फसलों के बीजों पर, अमेरिकी कम्पनी मोनसैन्टों के बड़े षडयंत्र का पर्दाफाश किया। उन्होनें मौनसैन्टो कम्पनी के संभावित खतरों से दर्शको में उपस्थित किसानों को आगाह करते हुए कहा कि भारत के किसानों के पास बीजों को संकलन करने की सर्वोत्तम परम्परा रही है लेकिन कुछ पूर्व की सरकारों के छद्मवेशी राजनेता, विदेशी कंम्पनियों से रिश्वत लेकर देश की कृषि के लिए घातक बने हुए हैं।

अध्यक्ष के तौर पर डॉ. सर्वदानन्द आर्य जी ने स्वदेशी को भारत की आत्मा बताया, उन्होने कहा कि हम 50 वर्ष पहले तक मौलिक रूप से स्वदेशी को जानते थे, मानते थे लेकिन कुछ भ्रष्ट और धृष्ट राजनेताओं ने आजादी के बाद से ही विदेशी अन्धानुकरण किया और देश के आम व्यक्ति को देश का नागरिक बनाने के बजाए विदेशी उपभोक्ता बना दिया।

कार्यक्रम में विषय प्रस्तावना स्वदेशी जागरण मंच के द्विप्रान्त संगठक व प्रचारक कमलजीत ने मंच की स्थापना से लेकर आज तक की प्रगति पर प्रकाश डाला। उन्होनें सभी दर्शकों से स्वदेशी का संकल्प लेने का वचन लिया। मंच संचालन दिल्ली एनसीआर प्रान्त के प्रभारी ओमकार सिंह ने किया। कार्यक्रम के स्वागताध्यक्ष प्रसिद्व समाजसेवी एवं व्यवसायी वशिष्ट कुमार गोयल ने सभी मंचासीन व्यक्तियों का परिचय कराया और कार्यक्रम के निवेदक, निगम पार्षद व चैयरमैन राजेन्द्र यादव ने निवेदन प्रस्तुत किया स्वदेशी जागरण मंच के कार्यक्रम संयोजक पूर्णचन्द्र कथूरिया, महानगर संयोजक मुनीशराज गर्ग ने सभी अतिथियों का धन्यवाद किया। कार्यक्रम में प्रमोद मिश्रा, मयंक, दर्शन लाल, सर्वनन समेत सभी कार्यकारिणी सदस्य उपस्थित थे। ❑